प्रकाशन का 46 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 46 अंक – 31 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी. / 93 / एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 09 – 16 अगस्त 2021 मूल्य पांच रुपए

विधानसभा सदन में आरएसएस पर उठा विवाद अध्यक्ष को हटाने की मांग तक पहुंचा

- संघ का पजींकरण क्यों नहीं है
- जब संघ बिना पंजीकरण के काम कर सकता है तो दूसरी संस्थाऐं क्यों नहीं
- किन्नौर में मन्त्री विरेन्द्र कंवर के लगे गो बैक के नारे

शिमला/शैल। जब विधानसभा सदन में आरएसएस को लेकर हुई टिप्पणी का विवाद अध्यक्ष को हटाने की मांग तक पहुंच जाये तो स्वभाविक है कि प्रदेश की आम जनता में संघ को लेकर कुछ सवाल उठेंगे ही। क्योंकि जनता विधानसभा से बड़ा मंच और बड़ा सदन है। विधानसभा में यह विवाद इसलिये बढ़ा क्योंकि शायद अध्यक्ष ने अपने को संघ की विचारधारा से जुड़ा हुआ बताया और इसी से विपक्ष ने उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठा दिया। भाजपा आरएसएस की राजनीतिक ईकाई है यह सब जानते हैं। भाजपा के संगठन मन्त्री के पद पर हमेशा संघ का ही प्रतिनिधि रहता है जो बहुत मामलों में अध्यक्ष पर भी भारी पड़ता है। आरएसएस के नाम से कई कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। शान्ता कुमार जब प्रदेश के मुख्यमन्त्री थे तब शिमला के रिज मैदान पर संघ को ही अपना कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मिली थी और इस आयोजन में पूरा मन्त्रीमण्डल तथा कई सरकारी अधिकारी /कर्मचारी स्वयं सेवक की वेषभूषा में इसमें शामिल हुए थे। इन संद्धर्भो से भाजपा सरकारों में संघ के रूतबे का पता चल जाता है।

कानून के अनुसार कोई भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संगठन एनजीओ और कंपनी आदि बिना पंजीकरण के कार्य नहीं कर सकता है यह भी हर व्यक्ति जानता है। इन सबको पंजीकरण अधिकारी के पास नियमित रूप से अपना ऑडिट करवाना होता है और ऐसा न करवाने पर इनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है जो संस्था पंजीकृत नहीं होती है उसकी गतिविधियों को गैर कानूनी करार देकर अपराध माना जाता है। संघ परिवार के विस्तार और प्रभाव के साये में आरएसएस के पंजीकरण को लेकर कभी कोई सवाल नहीं उठा। सब यही जानते हैं कि संघ की स्थापना 1925 में अंग्रेजी शासन के दौरान हुई थी और यह एक सांस्कृतिक संगठन है। इसके गठन में डा. हेडगेवार, वी एस मुंजे तथा विनायक दामोदर सावरकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह लोग हिटलर और मुसोलिनि से किस कदर प्रभावित रहे हैं यह मूंजे की अपनी डायरी से पता चल जाता है। इस परिप्रेक्ष में आरएसएस के पंजीकरण को लेकर जिज्ञासा होना और भी स्वभाविक हो जाता है। केन्द्र में जब मोदी के नेतृत्व में 2014 में भाजपा की सरकार बनी तब से कुछ लोगों ने पंजीकरण के सवाल पर पड़ताल करना शुरू की। इस पड़ताल के परिणामस्वरूप 28 अगस्त 2017 को नागपुर के एक पूर्व नगर सेवक जनार्दन मून ने महाराष्ट्र के धर्मादाय आयुक्त कार्यालय में आनलॉइन और मैनुअल दोनों प्रकार से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नाम से सामाजिक संगठन के रजिस्ट्रेशन का आवदेन किया। इससे पहले उन्होने मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीस को भी पत्र लिखकर ऐसा ही अग्रह किया था। जिसे मुख्यमन्त्री ने नागपुर स्थित सहायक धर्मादाय आयुक्त के कार्यालय को भेज दिया था। इस आवेदन पर जब कारवाई हुई तब यवतमाल के एक वकील राजेन्द्र गुंडलवार ने यह कह कर आपत्ति जताई कि इस नाम से पहले ही एक संस्था पंजीकृत है। परन्तु वह इसका साक्ष्य नहीं दे पाये। लेकिन सहायक आयुक्त ने इस आवेदन को यह कहकर खाारिज कर दिया कि पंजीकरण अधिनिमय के अनुसार जिस भी नाम के साथ राष्ट्रीय शब्द जुड़ा होगा उसके पंजीकरण पर प्रतिबन्ध है।

सहायक आयुक्त के फैसले को मून ने महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के नागपुर बैंच में चुनौती दी। जिसे न्यायमूर्ति रवि देश पांडे और विनय जोशी की खण्ड पीठ ने 21 जनवरी 2019 को खारिज कर दिया और यह कहा कि एक्ट में राष्ट्रीय शब्द जुड़े होने से पंजीकरण का प्रावधान नहीं है। उच्च न्यायालय में भी 1925 में आरएसएस के पंजीकृत होने की बात कही गयी है परन्तु यहां भी इसका कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। इसलिये खण्डपीठ ने एक्ट में राष्ट्रीय शब्द होने के आधार पर ही फैसला दिया है और पूर्व पंजीकरण पर कोई टिप्पणी नहीं की है। संघ के पंजीकरण और अन्य मुद्दों पर भाजपा नेता डा. स्वामी बहुत बार बहुत गंभीर सवाल उठा चुके हैं जिनके जवाब नहीं आये हैं। इस फैसले के बाद जनार्दन मून अपने संगठन आरएसएस के नाम से सारी गतिविधियों को यह कहकर अंजाम दे रहे हैं कि यदि मोहन भागवत का आरएसएस बिना पंजीकरण के कार्य कर सकता है तो उनका क्यों नहीं। संभव है कि बहुत सारे संघ से जुड़े लोगों को भी यह जानकारी न हो कि संघ पंजीकृत संस्था नहीं है। आज संघ का सरकार पर जिस तरह का प्रभाव है उसके परिदृश्य में इस पर एक सार्वजनिक बहस होनी चाहिये कि संघ पंजीकृत क्यों नही है। नागपुर बैंच का फैसला पाठकों के सामने रखा जा रहा है ताकि वह इस पर अपनी राय बना सके। इस समय जिस संद्धर्भ में यह मुद्दा विधानसभ पटल पर उभर कर जनता तक पहुंच चुका है उसकी झलक किन्नौर ने ग्रामीण विकास मन्त्री विरेन्द्र सिंह कंवर के विराध मे लगे नारों से सामने आ गयी है। अब इस मुद्दे पर जनता का ध्यान आकर्षित होना स्वभाविक हो गया है। इसमें जब पहला सवाल यह उठेगा कि संघ का पजींकरण

शेष पृष्ठ 7 पर.....

क्यों छिपाई जा रही है प्रचार प्रसार पर हुए खर्च की जानकारी–उठने लगे सवाल

शिमला/शैल। विधानसभा के इस सत्र में कांग्रेस विधायकों आशीष बुटेल और राजेन्द्र राणा ने सरकार से दो अलग – अलग प्रश्नों में यह पूछा था कि पिछले दो वर्षो में सरकार ने प्रचार – प्रसार पर कितना खर्च किया है। आशीष बुटेल का प्रश्न था अतारांकित during the last 2 years upto 31-01-2020 how much amount has been spend on publicity of various schemes and advertising of various events of the Government under various Heads and departments, event wise, scheme wise, media wise, (outdoor, print, electronic etc.) Media housewise and department wise detail be given? और राजेन्द्र राणा ने पूछा था कि गत 2 वर्षो में दिनांक 31.07.2020 तक सरकार ने किन – किन दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समाचार पत्रों तथा वेब और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में कितनी – कितनी धनराशि के विज्ञापन और निविदाएं जारी कीं। ब्यौरा वर्षवार दें? इन दोनो प्रश्नों के उत्तर में कहा गया है कि अभी भी सूचना एकत्रित की जा रही है। स्मरणीय है कि पिछले कुछ सत्रों से यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है और हर बार सरकार का जवाब यही रहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। करीब दो वर्षो से यही जवाब आने से स्वभाविक रूप से यही संदेश जायेगा कि या तो इसमें सरकार कुछ जनता की जानकारी से छुपाना चाहती है या फिर सूचना एवम् जन संपर्क विभाग में योग्य लोगों की कमी है जो यह सूचना तैयार ही नहीं कर पा रहे हैं इसमें कौन सी स्थिति सही है यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। सूचना और जनसंपर्क विभाग मुख्यमन्त्री के अपने पास है। सरकार के आने पर हर निदेशक और सचिव पत्रकारों से परिचय करने और उनकी समस्याएं सुनने, समझने के लिये बैठकें करता है। इस सरकार में भी यह रस्म अदा की गयी। प्रदेश के लघु समाचार पत्रों की समस्याओं पर मुख्यमन्त्री तक से चर्चाएं हो चुकी हैं। लेकिन इन चर्चाओं पर कोई अमल नहीं हुआ है। बल्कि जिन लोगों ने बेबाकी से समस्याएं सामने रखीं उन्ही के खिलाफ कुछ – न – कुछ गढ़ने का प्रयास किया गया। इस प्रयास में सबसे पहला कदम तो ऐसे समाचार पत्रों के विज्ञापन बन्द करके इनका प्रकाशन ही बन्द करवाने का प्रयास किया गया है। इससे यह सामने आता है कि सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रही है। जब मीडिया के मामले में सरकार का व्यवहार ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है।

सरकार अपनी नीतियों/योजनाओं के प्रचार प्रसार पर हर वर्ष करोडो रूपये खर्च कर रही है। सरकार की इन नीतियों /योजनाओं का संबंध प्रदेश की जनता से होता है। इस नाते इनकी जानकारी प्रदेश की जनता को होनी चाहिये। इनका प्रचार प्रसार प्रदेश के भीतर होना चाहिये। लेकिन जब सरकार इस संबंध में जानकारी को सार्वजनिक करने से टालती जा रही है तो क्या उससे यह माना जाये कि राज्य की योजनाओं का प्रचार प्रसार राज्य से बाहर ज्यादा किया जा रहा है। इसी के साथ जब प्रदेश के कुछ सामचार पत्रों को विज्ञापन जारी नहीं किये जा रहे हैं तब क्या यह सवाल नहीं उठेगा कि क्या विज्ञापनों पर खर्च होने वाला पैसा सरकारी नहीं है? क्या विज्ञापित की जाने वाली योजनाएं सरकारी नहीं हैं? जब यह सबकुछ सरकारी है तो फिर इनका आवंटन पक्षपातपूर्ण कैसे हो सकता है? क्या सरकार उन प्रकाशनों को बन्द करवाना चाहती है जो सरकार से कठिन सवाल पूछने की हिमाकत करते हैं?

जब सरकार का आचरण पक्षपातपूर्ण हो जाये और उसकी जानकारी सदन से भी लगातार टाली जाये तो उसको क्या समझा और माना जाये इस पर पाठक अपनी राय बनाने के लिये स्वतन्त्र हैं।

राज्यपाल ने उच्च उत्पादन और रोग प्रतिरोधक सेब किस्मों के शोध पर बल दिया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शिमला के समीप क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र क्रेगनेनो मशोबरा का दौरा किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह केन्द्र डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वाणिकी विश्वविद्यालय नौणी का एक महत्वपूर्ण संस्थान है, जहां सेब की विभिन्न किस्मों पर शोध कार्य किए जा रहे हैं, जो प्रशंसनीय है। उन्होंने विज्ञानियों को इस संस्थान में सेब की अधिक पैदावार वाली उत्तम किस्मों के विकास पर कार्य करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यह केन्द्र शीतोष्ण बागवानी में शोध और तकनीक को स्थानांतरित करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

राज्यपाल ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि प्रदेश में विशेषकर सेब उत्पादित क्षेत्रों में फल उत्पादकों को विभिन्न किस्मों की शोध का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उच्च घनत्व, उच्च उत्पादन और रोग प्रतिरोधक सेब की किस्मों पर शोध कार्य किया जाना चाहिए ताकि प्रदेश की सेब आधारित आर्थिकी को मज़बूती मिले।

उन्होंने सेब के लिए 276, नाशपाती की 79 और चैरी की 46 किस्मों वाले जर्मप्लाज्मा केन्द्र पर सन्तोष व्यक्त करते हुए कहा कि बागवानी के सम्बन्ध में प्रशिक्षक, किसान, प्रशिक्षण और क्षेत्रों के दौरे से तकनीक को प्रयोगशाला से निकाल कर जमीनी स्तर पर स्थानांतरित करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

आर्लेकर ने केन्द्र में स्थापित सेब बागीचे का दौरा किया और बागीचे में सेब की अच्छी पैदावार के लिए अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने प्रयोगशाला का भी निरीक्षण किया और संस्थान के उचित रख-रखाव के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों को सराहा। उन्होंने सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत लगाए गए सेब बागीचे और केन्द्र द्वारा लगाई गई फूलों की विभिन्न किस्मों का भी अवलोकन किया तथा विभिन्न पहल और शोध कार्यों की सराहना की।

राज्यपाल ने केन्द्र परिसर में हिमालयन हाइपैरिकम के पौधे भी रोपित किए। इससे पूर्व, कुलपति डॉ. परविन्दर कौशल ने राज्यपाल का स्वागत किया और पॉवर प्वांइट प्रस्तुति के माध्यम से बागवानी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि यह संस्थान हिमाचल को भारत के सेब राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फल उत्पादक इस केन्द्र के परमर्श और अन्य सलाह सेवाओं पर भरोसा कर बागवानी कार्यों में इनका उपयोग कर रहे हैं। क्षेत्रीय बागवानी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के सह-निदेशक डॉ. पंकज गुप्ता ने केन्द्र के शोध कार्य और अन्य गतिविधियों का ब्यौरा दिया।

निदेशक, शोध डॉ. रविन्द्र शर्मा, वैज्ञानिक और अन्य शोधार्थी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया

शिमला। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस

के अवसर पर राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राज्यपाल ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हमारे वीर सपूतों ने राष्ट्र की एकता और अखण्डता को बनाए रखा और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देता है कि हम देश के विकास में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं।

उन्होंने कहा कि समृद्ध संस्कृति, उच्च परम्पराओं और नैतिक मूल्यों को अपनाकर देश को विश्व गुरू और एक नए भारत के स्वप्न को साकार करने में हम अपना योगदान दे सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों के आजादी के सपने को सही मायने में वास्तविक रूप इसी रूप में दिया जा सकता है।

उन्होंने राज्य के सर्वांगीण विकास और प्रगति के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि राष्ट्र और प्रदेश की प्रगति के लिए हम समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ अपना कर्तव्य निभायेंगे। राजभवन के अधिकारी एवं कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने किन्नौर में भू-स्खलन की घटना पर शोक व्यक्त किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने जिला किन्नौर के न्यूगलसेरी के निकट हुई भारी भू-स्वलन की घटना पर शोक व्यक्त किया है, जिसमें कई लोगों के मलबे में दबने की आशंका है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार मलबे में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है तथा सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और भारतीय-तिब्बत सीमा बल की टीमें घटना स्थल पर बचाव अभियान चला रही हैं। उन्होंने कहा कि इस आपदा की घड़ी में राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है और उन्हें हर सम्भव सहायता प्रदान की जाएगी। राज्यपाल ने आशा व्यक्त की है कि मलबे में फसे हुए सभी लोगों को शीघ्र सुरक्षित निकाल दिया जाएगा।

राज्यपाल ने हिमफैड को कोल्ड स्टोर स्थापित करने का सुझाव दिया

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता विपणन और उपभोक्ता फैडरेशन लिमिटेड (हिमफैड) के अध्यक्ष गणेश दत्त ने राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट कर उन्हें फैडरेशन द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया।

गणेश दत्त ने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख सहकारी विपणन फैडरेशन है। जो राज्य के किसानों व उपभोक्ताओं के लिए कृषि उत्पादों के विपणन और खाद वितरण जैसी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलाता है। उन्होने कहा कि यह प्रदेश में कृषि, उद्योग और व्यापार आदि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और किसानों को समय रहते खाद भडारण, खरीद और वितरण सुनिश्चित कर प्रदेश के किसानों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाता है ताकि किसानो को खाद की कमी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष फैडरेशन के माध्यम से किसानों और बागवानों को 95000 मिट्रिक टन खाद की आपूर्ति की गई और पिछले एक वर्ष में कोविड महामारी के दौरान फैडरेशन किसानों को खाद की पर्याप्त आपुर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमफैड आपूर्ति श्रृंखला मजबूत है और मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत सेब की सबसे बड़ी खरीद एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। इस वर्ष सेब सीजन में 122 खरीद केंद्र खोले गए हैं। इसके अलावा फैडरेशन अपने पेट्रोल और डीजल स्टेशन का भी संचालन कर रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी विभिन्न गतिविधियों के सुचारू क्रियान्वयन के कारण आज फैडरेशन लाभ कमाने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बन गया है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने फैडरेशन की पहल की सराहना की और कहा कि हिमफैड को राज्य में कोल्ड स्टोर विकसित करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में और अधिक कोल्ड स्टोर स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि किसानों और बागवानों को अपनी उपज के बेहतर विपणन की सुविधा और लाभकारी मूल्य मिल सकें।

इस अवसर पर हिमफेड के प्रबंध निदेशक के.के. शर्मा, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को स्वास्थ्य उपकरण भेंट किये

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो राज्य रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष भी हैं, ने राजभवन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को स्वास्थ्य उपकरण भेंट किए। राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा डॉ. साधना ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थी।

स्वास्थ्य उपकरणों में 15 वेंटिलेटर्स, 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 640 पीपीई किट्स, मास्क इत्यादि शामिल हैं।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि रेड क्रॉस ने कोविड महामारी के दौरान महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस के माध्यम से समय-समय पर राहत सामग्री, स्वास्थ्य उपकरण और अन्य किट उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अतिरिक्त रेडक्रॉस द्वारा रक्तदान शिविर और जागरूकता अभियान आयोजित करवाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा का यह क्रम और अधिक दृढ़ता के साथ चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी को और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपलब्ध करवाए गए स्वास्थ्य उपकरणों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि पात्र लोगों को इनका लाभ मिल सके।

डॉ. साधना ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान विशेष रूप से गरीब लोगों को भोजन और स्वास्थ्य किट आदि उपलब्ध करवाकर राहत प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस द्वारा चिकित्सकों के माध्यम से शुरू की गई परामर्श सेवा की भी सराहना की गई है।

राज्यपाल के सचिव प्रियतु मंडल, निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. अनिता महाजन और उप-निदेशक डॉ. रमेश चन्द भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

ऊना जिले में एपीआई इकाई के लिए 500 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर

हिमभाषा। प्रदेश के ऊना जिले में 500 करोड़ रुपये के एपीआई आधारित फरमंटेशन उत्पादन संयंत्र के लिए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की उपस्थिति में राज्य सरकार और मैसर्ज कानकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड के बीचएक समझौता

ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति ने राज्य सरकार जबकि कानकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुधीर वैद ने कंपनी की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

परियोजना की स्थापना एपीआई पार्क और उसके आसपास के क्षेत्रों में तीन चरणों में 500 करोड़ रुपये के निवेश के साथ की जाएगी जिसमें 1000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। इस परियोजना की निर्यात क्षमता लगभग 60-65 प्रतिशत होगी। इकाई दो वर्षों में चालू हो जाएगी और क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगी। सरकार ने आवश्यक अनुमति और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कंपनी को पूर्ण समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई है।

कानकॉर्ड बायोटेक भारत की अग्रणी एकीकृत जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है जो इम्यूनोसप्रेसेन्ट, ऑन्कोलॉजी, एंटी-इनफेक्टिव (जीवाणुरोधी और एंटिफंगल), एंजाइम आदि पर केंद्रित उच्च गुणवत्ता वाले फरमंटेशन-आधारित बायो-फार्मा एपीआई का निर्माण करती है। यह दुनिया में इम्यूनोसप्रेसेन्ट एपीआई के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है और 20 से अधिक फरमंटेशन आधारित एपीआई की पेशकश करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह और अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आरडी धीमान, अतिरिक्त निदेशक उद्योग तिलक राज शर्मा, संयुक्त निदेशक उद्योग नरेश शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रीना
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
INVITATION FOR BIDS (IFB)

The Executive Engineer, N.H Division, HP.PWD. Chamba -176310 on behalf of Governor of H.P invites the item rate bids, in electronic tendering system from the eligible class of Contactor registered with HPPWD for the works as detailed in the table: -

S.No.	Name of Work	Estimated Cost (Rs.)	Starting Date for downloading Bid	Earnest Money	Deadline for Submission of Bid	Date of Technical bid opening	Time limit
1.	Restoration of rain damages on Chakki-Banikhet Chamba Bharmour road NH 154A Km 106/0 to 172/0 (SH:- C/o P.C.C R/wall at RD 134/475 TO 134/490 for the purpose of toe protection	9,04,701/-	23.08.2021 at 11:00 AM	19000/-	31.8.2021 at 11:00 AM	31.8.2021 at11:30 AM	Three months
2.	Restoration of rain damages on Chakki-Banikhet Chamba Bharmour road NH 154A Km 106/0 to 172/0 (SH:- P/L GSB, G-I G-II and Bitumen concrete in Km 134/440 to 134/530	5,33,969/-	23.08.2021 at 11:00 AM	11000/-	31.8.2021 at 11:00 AM	31.8.2021 at11:30 AM	Three months

The Bidders are advised to note other details of tenders from the department website **www.hptenders.gov.in**
The undersigned has right to extend or cancel the bids without declaring any reasons there-of.

Adv. No. 3324/21-22 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

राज्य सरकार के कर्मचारियों और पैंशनधारकों को 6 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने की घोषणा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह अमृत महोत्सव के रूप में हर्षोल्लास के साथ

मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला और उप-मण्डल स्तर पर भी समारोह आयोजित किए गए। ध्वजारोहण के साथ-साथ पुलिस, गृह रक्षक, एसएसबी, आइटीबीपी के जवानों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट समारोह के मुख्य आकर्षण रहे। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह मण्डी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने की।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस बल, गृह रक्षक, एसएसबी और आइटीबीपी के जवानों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। प्रणब चौहान ने परेड की अगुवाई की।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पैंशनधारकों के लिए पहली जुलाई, 2021 से 6 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने की घोषणा की। इस निर्णय से कर्मचारियों और पैंशनरों को 450 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ होगा।

उन्होंने बीपीएल परिवारों के लिए खाद्य तेल पर आगामी चार महीनों के लिए अनुदान राशि 10 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 30 रुपए प्रति लीटर करने और एपीएल परिवारों के लिए 5 रुपए से 10 रुपए प्रति लीटर करने की घोषणा की। इस निर्णय से राज्य के 18.71 लाख कार्डधारक लाभान्वित होंगे। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने मण्डी नगर निगम के लिए 15 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की ताकि निगम विकासात्मक कार्यो का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर सके।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्र के गौरव और सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धाजंलि दी। उन्होंने उन शहीद योद्धाओं को भी श्रद्धाजंलि दी जिन्होंने देश की सम्प्रभुता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन और खण्ड विकास अधिकारी गोहर निशांत शर्मा को हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसिज पुरस्कार से सम्मानित किया। डॉ. आर. के परूथी और सतपाल को प्रेरणा स्रोत पुरस्कार जबकि सूबेदार संजय कुमार, सूबेदार मेजर बलवंत सिहं, करतार सिंह व राहुल रैना को हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

उन्होंने आशीष कुमार, प्रियंका नेगी, ऋतु नेगी, कविता ठाकुर, अजय ठाकुर, खिला देवी, दीक्षा ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, ज्योतिका दत्ता, विकास ठाकुर और कोच नरेश कुमार को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं प्रशंसनीय योगदान के लिए नकद पुरस्कार प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पुलिस विभाग को 34 लाईट मोटर वाहन प्रदान किए।

विभिन्न विभागों की झांकियां इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रही। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने शहीद स्मारक में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को पुष्पाजंलि अर्पित की। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी।

4126.23 करोड़ निवेश के 19 नए व विस्तार प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 18वीं बैठक

में नए औद्योगिक उद्यम स्थापित करने और वर्तमान ईकाइयों के विस्तार 19 परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इन प्रस्तावों पर लगभग 4126.23 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और लगभग 5107 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इससे यह प्रदर्शित होता है कि आर्थिक मन्दी के बावजूद राज्य निवेश को निरंतर आकर्षित कर रहा है।

प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों में बल्क ड्रग्ज और इनके फार्मूलेशन व बायोटैक उत्पाद इत्यादि का निर्माण करने के लिए मै. मोरपेन बायोटैक लि. बद्दी, जिला सोलन, एयर कण्डीशनर, कलीन रूम, इलैक्ट्रीकल पैनल इत्यादि का निर्माण करने के लिए मै. एनईएमआर इन्ड्रस्ट्रीज प्राइवेट लि. नालागढ़, जिला सोलन, पूनर्चक्रण टैक्सटाइल फाइवर निर्माण के लिए मै. वर्धमान रिनोवा (वर्धमान टैक्सटाइल लि. की इकाई), बद्दी जिला सोलन, टैबलेट्स, कैप्सूल, इन्जैक्शन आदि के निर्माण के लिए मै. क्वालिटी फार्मास्यूटीकल लि. औद्योगिक क्षेत्र राजा का बाग जिला कांगड़ा, बांस की प्लाई के निर्माण के लिए मै. अनाग्राम सिस्टमज, औद्योगिक क्षेत्र चनौर, जिला कांगड़ा, आरटिलरी एमूनिशन आदि के निर्माण के लिए मै. एसएमपीपी प्राइवेट लि. नालागढ़, जिला सोलन, एम्पटी ग्लास एम्पोयूल्ज, वायल निर्माण के लिए मै. नैना ग्लास इंक, बद्दी, जिला सोलन, सेफ्टी रेजर ब्लेड और सम्बधं उत्पादों के निर्माण के लिए मै. सवारिया फ्यूचर वर्कस लि. औद्योगिक क्षेत्र अम्ब, जिला ऊना और इथेनॉल, पोटेबल अल्कोहल, डीडीजीएस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐना आदि के निर्माण के मै. जय ज्वाला बायोफ्यूल इन्ड्रस्ट्रीज गांव किरपालपुर नालागढ़, जिला सोलन के प्रस्तावों को अनुमति प्रदान की।

प्राधिकरण ने जिन नए परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है उनमें टैबलेटस, कैप्सूल और तरल पदार्थ आदि के निर्माण के लिए मैसर्ज लाईफ विज़न हैल्थकेयर, ईपीआईपी चरण-1 झाड़माजरी बद्दी जिला सोलन, एमएस फिटिंग और फिक्सचर, फार्मा डिसइनफेक्टेड स्प्रे, सेनिटाइजर, कॉस्मेटिक उत्पाद आदि के निर्माण के लिए मैसर्ज पोटिका एरोटैक लिमिटेड गांव जोहरोन, पांवटा साहिब जिला सिरमौर, एमएस इनगोट्स, एमएस बार/एमएस फ्लैट/ चैनल/ एंगल आदि के निर्माण के लिए मैसर्ज अम्बिका अलवायज, आई.ए. काला अम्ब जिला सिरमौर, एम.एस. बिलेट्स, एम.एस./टी.एम. टी. बारज के निर्माण के लिए मैसर्ज सबू टोर प्राइवेट लिमिटेड युनिट-1, काला अम्ब जिला सिरमौर, पॉलिएस्टर यार्न के निर्माण के लिए मैसर्ज हिमटेक्स टेक्सटाइल्ज प्राइवेट लिमिटेड, गांव नंगल, सलंगरी जिला ऊना और एम.एस. बिलेट, टी.एम.टी. बार, चैनल और अन्य लौह उत्पादों के निर्माण के लिए मैसर्ज प्राइम स्टील इन्डसट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, गांव बटेड़, बद्दी जिला सोलन शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने मॉडल प्रीजन मैनुअल-2021 जारी किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ओक ओवर में हिमाचल प्रदेश मॉडल प्रीजन मैनुअल-2021 को जारी किया। उन्होंने कहा कि यह

मॉडल प्रीजन मैनुअल कारागार बंदियों के सुधार और पुनर्वास में सहायता करेगा और जेल बंदी अपनी कारावास अवधि का सही उपयोग कर नए व्यवसायिक कौशल सीखेंगे। इस प्रकार कारावास से रिहा होने के बाद वे आसानी से अपनी आजीविका अर्जित कर अपने परिवार की सहायता कर सकते हैं और फिर से अपराध की राह पर चलने के बजाय पुनर्वास के बाद समाज का हिस्सा बन आदर्श नागरिक के रूप में देश की सेवा करेंगे।

उन्होंने कहा कि मौजूदा हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल-2000 लगभग 21 साल पुराना है। उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, खान-पान और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार कुछ संशोधन किए गए हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कारागारों में नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिसमें कैदियों को उनके कौशल, क्षमता और इच्छा के अनुसार आजीविका कमाने के लिए कार्य और प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता लाने के लिए सभी करागारों को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जेलों का प्रबंधन ई-प्रीजन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा, जिन्हें आईसीजेएस प्रणाली के माध्यम से अदालतों, पुलिस और फॉरेंसिक विज्ञान विभागों से जोड़ा जाएगा।

पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य की जेलों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए नई आधुनिक तकनीक और उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कारागार एवं सुधार सेवाएं एन. वेणुगोपाल ने कहा कि कारागार कर्मचारियों को इस नई जेल नियमावली के प्रावधानों के सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेलों में कैदियों का डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि पैरोल, फरलो आदि के दौरान उन पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में 14 जेल हैं, जिनमें 2 केंद्रीय जेल, 9 जिला जेल और 3 उप-जेल हैं।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया पौधरोपण

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने राज्य वन विभाग के सौजन्य से 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शिमला के निकट बागी जुब्बड़ में विशेष पौधरोपण अभियान आयोजित किया। प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायामूर्ति रवि मलिमठ ने देवदार का पौधा रोपित कर पौधरोपण अभियान का शुभारम्भ किया।

पौधरोपण अभियान का उद्देश्य क्षेत्र के हरित आवरण को बढ़ाना और राज्य के लोगों को पौधरोपण के प्रति प्रोत्साहित करना था। इस अभियान के अंतर्गत 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र पर लगभग 550 पौधे रोपित किए गए।

प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान ने देवदार का पौधा रोपा। न्यायाधीश

सुरेशवर ठाकुर, न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर, न्यायाधीश संदीप शर्मा, न्यायाधीश सी.बी वरोवालिया, न्यायाधीश ज्योत्ना रेवल दुआ, न्यायाधीश सत्येन वैद्य, प्रधान मुख्य अरण्यपाल सविता और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की धार्मपत्नी ने पौधारोपण अभियान में भाग लिया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेम लाल रांटा ने मुख्य अतिथि और अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।

रजिस्ट्रार जनरल वीरेन्द्र सिंह, सत्र न्यायाधीश, रजिस्ट्रार, जिला अधिकारी शिमला कृष्ण कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित थे

मतदाता सूचियों का अद्यतन कार्य गम्भीरतापूर्वक करने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने जिला लाहौल-स्पीति व जिला चम्बा के पांगी उप-मण्डल के पंचायती राज संस्थाओं के निकट भविष्य में सम्भावित सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत सम्बधित उपायुक्तों, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी काजा एवं आवासीय आयुक्त पांगी के साथ वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की।

अनिल खाची ने सभी प्रतिभागियों को आयोग द्वारा जारी मतदाता सूचियों के अद्यतन कार्य को गम्भीरतापूर्वक करने के निर्देश दिए ताकि मतदाता सूचियों में कोई त्रुटि न रहे। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों पर भी जनजातीय क्षेत्रों के साथ ही निर्वाचन करवाने का निर्णय लिया है और रिक्त पड़े पदों पर मतदान सूचियों के अद्यतन का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

उन्होंने आयोग द्वारा निर्वाचन की तैयारियों, कोविड-19 सम्बन्धी प्रोटोकॉल व स्थिति, निर्वाचन सामग्री, मतपत्रों की उपलब्धता तथा सम्भावित मौसम की परिस्थितियों की भी समीक्षा की।

सभी प्रतिभागियों ने जानकारी दी कि मतदाता सूचियों के अद्यतन का कार्य निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आरम्भ कर दिया गया है व उनके स्तर पर निर्वाचन की पूर्ण तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वे आयोग द्वारा निर्धारित किए जाने वाले कार्यक्रमानुसार निर्वाचन सम्पन्न करने के लिए तत्पर हैं।

सभा के मध्य जो दूसरों के व्यक्तिगत दोष दिखाता है, वह स्वयं अपने दोष दिखाता है।

.....चाणक्य

सम्पादकीय

क्या फिर मण्डल बनाम कमण्डल होगा

संविधान में हुए 127 वें संशोधन से राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गो की सूची बनाने का अधिकार मिल गया है। इस अधिकार से वह इन वर्गो की अपने राज्य की सूची बनाने के लिये स्वतन्त्र होंगे। इससे अब संविधान की धारा 366 (26C) और 338 B(9) में भी संशोधन हो जायेगा। इस संशोधन के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव क्या होंगे यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन अभी यह उल्लेखनीय है कि जब 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमन्त्री वी.पी.सिंह ने संसद में मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू करके अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण सरकारी नौकरीयों में देने की घोषणा की थी तब पूरे देश में इसका भयानक विरोध हुआ था। देशभर में करीब 200 युवाओं ने आत्मदाह के प्रयास किये थे और 62 की तो मौत भी हो गयी थी। दिल्ली के देशबन्धु कॉलिज का छात्र राजीव गोस्वामी पहला छात्र था जिसने आत्मदाह का प्रयास किया था। दिल्ली के ही एक बारह वर्षीय सातवीं कक्षा के छात्र अतुल अग्रवाल ने भी आत्मदाह का प्रयास किया था। वह 55% तक जल गया था लेकिन उसे बचा लिया गया। बाद में इसी छात्र ने यह स्वीकार किया था कि उसका यह कदम मूर्खतापूर्ण था। शिमला में भी आत्मदाह के प्रयास हुए थे। शायद यह आत्मदाह करने वाले तो यह जानते भी नहीं थे कि आरक्षण का मुद्दा क्या था। मण्डल सिफारिशों पर उभरे इस विरोध का परिणाम यह हुआ कि भाजपा ने वी.पी.सिंह सरकार से अपना समर्थन वापिस ले लिया। इससे सरकार गिर गयी और यह विरोध भी समाप्त हो गया। तभी से आरक्षण के विरोध में एक वर्ग खड़ा हो गया और यह धारणा बन गयी कि इस विरोध को भाजपा का संरक्षण और समर्थन हासिल है। इसी आधार पर स्वर्ण आयोग की मांग उठी जो आज विधानसभा के सदन तक पहुंच चुकी है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बहुत सारी स्वर्ण जातियां अपने लिये भी आरक्षण की मांग करती आ रही है। 2014 के बाद से यह मांग ज्यादा मुखर और नियोजित होकर उठी है। हर मांग में यह कहा गया कि या तो हमें भी आरक्षण दो या सबका आरक्षण खत्म करो। आर.एस.एस. प्रमुख डा.मोहन भागवत बड़े खुले शब्दों में यह कह चुके हैं कि आरक्षण पर नये सिरे से विचार होना चाहिये। स्वभाविक है कि जिन परिवारों के बच्चे मण्डल विरोध में आत्मदाह का प्रयास कर चुके हैं और जो इसमें अपने प्राण गंवा चुके हैं वह कभी नहीं चाहेंगे कि आरक्षण कायम रहे। यह उम्मीद इन लोगों को भाजपा से ही है क्योंकि उस समय मण्डल के विरोध में उभरे कमण्डल आन्दोलन को इसी भाजपा का प्रायोजित कहा गया था। इस पृष्ठभूमि में यदि इस पूरे विषय पर निष्पक्षता से विचार करें तो आज तो स्थिति 127वें संविधान संशोधन तक पहुंच गयी है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि समाज के पिछड़े वर्गो की चिन्ता और उन पर चिन्तन का काम तो 1906 से ही शुरू हो गया था जब जातियों की सूची तैयार की गयी थी। आज़ादी के बाद सरकार के सामने यह चिन्ता और चिन्तन सबसे पहला कार्य था। इसीलिये 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला आयोग गठित किया गया और शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ों की पहचान की गयी। इस पहचान के लिये 22 मानक तय किये गये। जिस जाति वर्ग के कुल अंक 11 से बढ़ गये उसे ही इसमें शामिल किया गया। इस आयोग ने 2399 ऐसी कुल जातियों की पहचान की और उसमें से 837 को अति पिछड़े का दर्जा दिया। आयोग ने मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। लेकिन अपने ही आवरण पत्र में इन सिफारिशों को लागू न करने की बात की। तर्क था कि इससे प्रशासन का काम प्रभावित होगा। यह सुझाव दिया कि इनको मुख्यधारा में लाने के लिये आर्थिक सुधारों और कृषि सुधारों पर जोर देना होगा।

काका कालेलकर आयोग के बाद जनवरी 1979 में इसी आश्य का दूसरा आयोग बिहार के पूर्व मुख्यमन्त्री पी.वी.मण्डल की अध्यक्षता में गठित किया गया। इसकी रिपोर्ट 31 दिसम्बर 1980 को आयी तब मोरारजी देसाई सरकार गिर कर इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी। इस सरकार में इस रिपोर्ट पर कोई कारवाई नहीं हुई। इसके बाद 1989 में केन्द्र में वी.पी.सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी। इस सरकार ने मण्डल की सिफारिशों को सरकार की आहूति देकर लागू किया। लेकिन तभी से आरक्षण का विरोध भी चलता आ रहा है जो आज स्वर्ण आयोग की मांग तक पहुंच चुका है। मण्डल की सिफारिशों को 1992 में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने मण्डल की सिफारिशों को तर्क संगत माना। इन्दिरा साहनी फैसला एक मील का पत्थर बन गया क्योंकि इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्रीमी लेयर का मानक जोड़ दिया। यह कहा कि जो लोग क्रीमी लेयर में आ जायें उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। 1993 में क्रीमी लेयर में आय का मानक एक लाख रखा गया। जिसे 2004 में बढ़ाकर अढ़ाई लाख 2008 में साढ़े चार लाख और अब 2015 में आठ लाख कर दिया गया है। इसी दौरान जब सर्वोच्च न्यायालय ने पदोन्नतियों में आरक्षण का लाभ न दिया जाने का फैसला दिया और इसका विरोध हुआ तब इस फैसले को मोदी सरकार ने संसद में पलट दिया। अब संविधान में संशोधन करके राज्यों को ओबीसी सूचियां बनाने का अधिकार दे दिया है। इस अधिकार के तहत जब इन सूचियों का आकार बढ़ेगा तब क्या और आरक्षण की मांग नहीं आयेगी। इस मांग को पूरा करने के लिये आरक्षण का प्रतिशत और बढ़ाना पड़ेगा। यह एक स्वभाविक परिणाम होगा अभी 2017 में जो रोहिणी आयोग गठित किया गया है उसकी रिपोर्ट आनी है। उसमें पिछड़े वर्गो को भी तीन भागों में बांटा जा रहा है, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा। इन्हें इसी 27% में समायोजित किया जायेगा और 7%, 11% और 9% में बांटा जायेगा। इसलिये अभी यह देखना रोचक होगा कि इस 127 वें संविधान संशोधन और फिर रोहिणी आयोग की सिफारिशों और स्वर्ण आयोग की मांग में तालमेल कैसे बैठेगा।

भूख के आतप में दर्द के सूरज पलते हैं

डॉ. राकेश कपूर
स्वतन्त्र लेखक और पर्यावरणविद

शिमला। टोकियो ओलिंपिक में गूंजने वाली हेड लाइन्स में रजत, कांस्य और अंततः स्वर्ण जीतने वाले खिलाडीओं का अभूतपूर्व प्रदर्शन, देश को दिलाये 7 तमगे। मीरा बाई चानू, लोवलीन, जो मेरीकॉम, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, नीरज चोपड़ा, बैडमिंटन स्टार पीवी सिन्धु वो नाम हैं जिन्होंने भारत की आन बान और शान को चार चांद लगाए। खेल जगत में इन में से बस एक दो को छोड़ बाकी सब की एक ही कहानी है गरीबी, अभाव, मेहनत मज़दूरी करते मां बाप, दो जून भर पेट रोटी की मुश्किल के बावजूद इन्ही सितारों ने अपने लहू से भारत के खेल इतिहास के स्वर्णिम पन्ने लिखे। इनके इलावा भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम के सदस्यों की भी ऐसी ही गाथा है। हरियाणा की स्टार और हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, सविता पुनिया, वंदना कटारिया, नेहा गोयल, झारखंड की सीमा टेटे, सहित भारतीय महिला खिलाडियों जिन की कहानी उनके टोकियो ओलम्पिक सेमीफाइनल प्रवेश से पहले एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका ने प्रकाशित की। उनकी गरीबी, भूख, अभाव के बावजूद अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बनने के पीछे की चाह में 'और कोई विकल्प था ही नहीं' लड़ने का भूख और गरीबी से, खेलो और खेल में जान लड़ा दो को ही बयान करती है।

रानी रामपाल के पिता रेहड़ी चलाते, मां घरों में काम करती, बेटी जिस ने टुटी हुयी हॉकी से अभ्यास शुरू किया, जो कोच द्वारा निर्धारित 500 ml दूध की मात्रा पूरी करने के लिए उस में पानी मिला देती मां देर तक जागती ताकि बेटी का कोचिंग सेशन छूट ना जाये क्योंकि अलार्म के लिए घर पे घड़ी नहीं थी। वन्दना कटारिया को फैक्ट्री में हेल्पर का काम करना पड़ा, यहां तक कि मुफलिसी में आत्महत्या की नौबत तक पहुंच गई। हरियाणा की नेहा गोयल ने मुफलिसी से लड़ाई में हॉकी को बस इसलिए अपनाया कि पूर्व ओलंपियन रानी सिवाच की अकादमी मे 2 वक्त फ्री भोजन का जुगाड़ हो। सीमा टेटे का परिवार आज भी कच्चे मिट्टी के घर में रहता है पिता खेत मज़दूर हैं। मीरा बाई चानू जो पैसे नहीं होने के चलते ट्रक वालों से लिफ्ट लेकर कोचिंग संस्थान पहुंचती, असम की बॉक्सर और कांस्य पदक विजेता, लोवलीन की तरह सड़क नहीं है आज भी उन के घर तक।

भूख के आतप में दर्द के सूरज पलते हैं इन्ही सब की कहानी और अभाव ग्रस्त बचपन ओलम्पिक की चकाचोंध के सफर को बयां करती है कहानी बस इन्ही चंद नामों की नहीं, पंजाब के निवासी निशाने बाज़ जो अब भारतीय सेना में है कि खेल की ललक से पहले पेट के सवाल की मजबूरी का सहारा बनी सेना। नीरज के सेना में जाने का भी यही बड़ा कारण है। भारत की नामचीन धाविका 2018 एशियाई खेलों की 2 बार रजत जीत चुकी दुती चांद यद्यपि टोकयो में कमाल नहीं दिखा पायीं पर भारत की श्रेष्ठ धाविका इतने गरीब बुनकर परिवार का हिस्सा है कि गुजर बसर मुश्किल थी।

केवल टोकियो ओलम्पिक ही नहीं भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पी गोपीचंद की मां कई मील पैदल चलती थी काम के लिए कि बेटे की शटल के 2 रुपये बचाले। भूख से लड़ने में कीचड़ तक खा लेने वाली केरल की मैराथन धाविका जैशा ने पिता की मौत, जीवन यापन के एकमात्र सहारे 3 गायों को खोने के दंश को झेलने के बावजूद खेल नहीं छोड़ा क्योंकि पेट की आग बुझाने को और विकल्प नहीं था। 1978 एशिआई खेलों में 5000, ,10,000 मीटर में दोहरा पदक जीतने वाले हरिचंद को नंगे पाँव दौड़ कर यह कमाल कर लेने को कौन भुला सकता है, जिसे नंगे पाँव दौड़ने का शौक नहीं था मज़बूरी थी कि ट्रैक योग्य महंगे जूते खरीदने के पैसे नहीं थे अपने पास, और सरकार ने दिए नहीं, प्रायोजन का दौर नहीं था। पूर्व बॉक्सिंग कोच गुर्बख्श सिंह जिन्हे कई पदक विजेता बॉक्सर देश को देने के लिए जाना जाता है। मानते हैं कि बॉक्सिंग रिंग में उतर कर मेडल तक पहुंचे सभी ने रोटी और नौकरी की प्राथमिकता के चलते रिंग को अपनाया।

हमारे यहां सरकारें खेल प्रतिभाओं के खिलाड़ियों को नौकरी, ईनाम, प्लाट सब देती है पर मैडल जीतने के बाद। अकेले हरियाणा की 9 महिला हॉकी खिलाड़ी ढाई करोड़ प्रति खिलाड़ी से बस इसलिए चूक गईं कि उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद वो ब्रॉन्ज़ नहीं जीत पायीं। कुछ ऐसा ही हुआ युवा बॉक्सर दीपक पूनिया के साथ। जो अंतिम 10 सैकेंड में अंक गंवा 4-3 से काँस्य पदक से चूक गए और सरकार द्वारा घोषित 2 अढ़ाई करोड़ से भी।

इस देश के खेल इतिहास का अवलोकन करने पर स्पष्ट हो जाएगा कि पदक जीतने वाले सभी खिलाडी गरीबी भूख से लड़ कर पिछड़े अभावग्रस्त ग्राम परिवेश, वंचित, और अतिविप्र परिवारों से आते हैं , शहरों, महंगी एयर कंडीशन गाड़ियों से आये फिटनेस सेंटरों और मोटी फीस वसूलते विद्यालय, कोचिंग सेंट्रो, स्पोर्ट्स अकादमियों से कोई खिलाड़ी पदक विजेता नहीं निकला।

देश में क्रिकेट प्रेम, प्रायोजन, और प्राश्रय को त्याग कर प्रतिभा खोज, चयन और प्रोत्सान, के ज़मीनी प्रयासों की जरूरत है। खेल नीति, खेल संघों के तौर तरीकों पर काम करने के साथ-साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी जो लाभ कमाने की नीयत और नीति से ऊपर हो, छोटे कस्बों और गावों में पैदा गुदड़ी के लालों की पहचान कर प्रतिभा संरक्षण और विकास कर उनके परिवार और परिजनों को भी समुचित अवसर देकर भय, भूख और गरीबी से निजात दिलाना जरूरी है। सिर्फ मैडल विजेताओं पर धन वर्षा मात्र से खेल और खिलाड़ी का कल्याण और देश को मिलने वाले अंतराष्ट्रीय पदकों की चमक नहीं बढ़ेगी।

चूंकि खिलाड़ी के श्रेष्ठ प्रदर्शन का और खेल जीवन का समय बहुत छोटा होता है इस लिए रोटी रोज़ी की उसकी चिंता पर चर्चा और चिंतन जरूरी है वर्ना, कोई मेरीकॉम, मीरा बाई चानू, सीमा टेटे, सविता पुनिया खेल मैदान में नहीं दिखेंगे।

हम विकास की ओर या विनाश की ओर?

– आर. एल. भारद्वाज –
सेवानिवृत उप-कुलसचिव हि.प्र. विश्वविद्यालय शिमला

शिमला। विकास के नाम पर हो रहे विनाशकारी तरीको का उपयोग करके आज आम आदमी का जीवन बहुत कठिनाई में पड़ता नजर आ रहा है। सड़कों, बड़ी परियोजनाओं या भवनों के निर्माण में हो रही विधि और मशीनों का उपयोग आम आदमी के लाभ के स्थान पर विनाशकारी प्रतीत हो रहा है। जब जब बड़ी परियोजनाओं, सड़कों, भवनों और पुलों का निर्माण किया जाता है तो शायद भू-वैज्ञानिकों, पर्यावरण विदो की सलाह ली जाती होगी ताकि विकास के साथ प्रकृति के साथ कम छेडछाड हो।

परन्तु आधुनिक समय में राजनेताओं की इच्छा के अनुसार निर्माण कार्य किये जा रहे हैं न कि भू-वैज्ञानिकों व पर्यावरण के मतानुसार, उनकी सलाह शायद किसी भी सरकार द्वारा मान्य नहीं है जिसका परिणाम आम जन मानस को भुगतना पड़ रहा है जब कोई हादसा हो जाता है तो सरकार मगरमच्छ के आंसू बहा देती है। तब किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है कि किसने गलती की है या किस विभाग ने भू वैज्ञानिकों या पर्यावरण विदो की सलाह नहीं मानी ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। इस प्रगति की अन्धी दौड़ में कानून विदो को भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए उनकों मात्र हादसा मान कर मौन नहीं रहना चाहिए उन सभी कारणों की पडताल करके अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जिन पहाड़ों पर प्रकृति ने भी पेड़-पोधे पैदा नहीं किये वहां का विकास सरकार को बहुत सोच विचार कर करना चाहिए न कि अपने स्वार्थ या धन लाभ के लिए। वैज्ञानिक समय समय पर इन सभी पर अपनी सलाह देते रहते हैं। पर उनकी सलाह पर आचरण कौन या कैसे करें यह यक्ष प्रश्न है।

किस स्थान पर किस तर्ज पर विकास करना है यह समय की सोच है। पहाड़ों पर फोर लैन सड़कें बनाना कहां तक उचित है। बिजली उत्पादन के लिए नंगे पहाड़ों में सुरगें बनाकर उसे छलनी करना कहां तक उचित है। वैज्ञानिक बार बार इस बाबत चेतावनी देते रहते है पर उस पर ध्यान न देना राजनीतिक व प्रशासनिक लोगों का एकाधिकार है। जब टिहरी बांध का निर्माण कार्य चल रहा था तब प्रसिद्ध पर्यावरण विद सुन्दर लाल बहुगुणा हिमाचल भी आए थे उन्होंने बडी लम्बी लडाई बड़े बांधो के विरुद्ध लड़ी थी अपने बुज़ुर्गो के घर में रह कर लोगों को सचेत किया था परन्तु सरकारी तंत्र के आगे वे भी हार गये।

अगर विकास समय की मांग है तो प्रकृति से छेड़छाड़ न होने देना भी हमारा अधिकार है। ताकि आने वाले लोगों का भविष्य सुरक्षित रह सके, ऐसा न हो कि प्रकृति का पुर्ण दोहन करके आने वाले लोगों का भविष्य संकट में न डाल दें। आजकल प्रसारण के माध्यम भी राजनीतिक विचारों में उलझे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि पर्यावरणविदों, भूवैज्ञानिको के साथ सार्थक चर्चा कर राजनेताओं और प्रशासकों तक लोगों की दर्द भरी आवाज़ सुनाई जा सके।

आत्म-निर्भर खननः नए अवसरों की तलाश

-प्रहलाद जोशी-
(केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री)

शिमला। जब भारत ने 1991 में नई औद्योगिक नीति को अपनाया, तो हम उदार, वैश्विक और बाजार संचालित आर्थिक विश्व व्यवस्था का हिस्सा बन गए और हमारे लगभग सभी व्यापार क्षेत्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नयी कंपनियों और नए निवेश के लिए खुल गए। हालाँकि, भारत का खनन क्षेत्र, नई औद्योगिक नीति से अलग और अप्रभावित रहा। बाद में, नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या, केवल दो (परमाणु ऊर्जा और रेलवे) तक सीमित कर दी गयी थी। नई औद्योगिक नीति में की गयी कल्पना के अनुरूप, खनन क्षेत्र में न तो कोई घरेलू या विदेशी निवेश आया और न ही वाणिज्यिक खनन के लिए कंपनियों की महत्वपूर्ण भागीदारी सामने आयी। खान एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम) 1957, द्वारा खानों और सभी खनिजों के विकास और विनियमन के लिए कानूनी ढांचा निर्धारित किया गया था। अधिनियम में प्रतिबंध संबंधी कई प्रावधान थे। भारत के खनन क्षेत्र का भाग्य अपरिवर्तित रहा, क्योंकि यह दशकों तक प्रतिबंधित (कैप्टिव) खनन और अंतिम उपयोग प्रतिबंध की बाधाओं के अधीन रहा, जिसमें कोयला ब्लॉक पहले-आओ (पहले-पाओ के आधार पर आवंटित किए जाते थे। परिणामस्वरूप, कोयले के लिए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा भंडार, अबरख और बॉक्साइट के लिए 5वां सबसे बड़ा तथा लौह अयस्क और मैंगनीज के लिए 7वां सबसे बड़ा भंडार होने के बावजूद, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम मुख्य रूप से आयात पर निर्भर हैं। दशकों से आयात और निम्न-स्तर के उत्पादन पर हमारी निर्भरता, सत्ता में बैठे लोगों की नीति और नियामक विफलता को दर्शाती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2015 में एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन पेश किया और खनन उद्योग को पारदर्शी नीलामी व्यवस्था के तहत लाया गया। 2015 के संशोधन का एक अन्य महत्वपूर्ण सुधार था-खनन पट्टाधारकों के योगदान से खनन प्रभावित क्षेत्रों के कल्याण के लिए जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना करना। इन सुधारों के जरिये खनिज ब्लॉकों को मनमाने ढंग से आवंटित करने की प्रथा समाप्त कर दी गयी और एक नई खनन व्यवस्था की शुरुआत हुई, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार और दीर्घकालिक थी। इस प्रकार भारत के खनन क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की श्रृंखला की शुरुआत हुई। सुधार एक सतत प्रक्रिया है और भारत के खनन क्षेत्र जैसे विशाल क्षेत्र के लिए, कोई भी सुधार लाना एक प्रक्रिया के तहत ही हो सकता है, जिसमें कई चरण, परामर्श और विचार शामिल हों। पिछले दो वर्षों में समय-समय पर किये गए सुधार (आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में तेजी लाने तथा कोविड -19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव का मुकाबला करने के उद्देश्य से किये गए हैं।

पिछले 5 वर्षों में हमारे अनुभव और कई हितधारकों के साथ परामर्श व उनके सुझावों के आधार पर, हमारी सरकार द्वारा खनन क्षेत्र में कुछ बहुत महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार किये गए। अधिनियम और संबंधित नियमों में संशोधन के जरिये खनन क्षेत्र में 'कारोबार में आसानी' को ध्यान में रखते हुए अधिकांश परिवर्तन किये गए हैं। प्रतिबंधित (कैप्टिव) और गैर-प्रतिबंधित (नॉन-कैप्टिव) खानों के बीच अंतर के परिणामस्वरूप खनन क्षेत्र में वांछित खनन कार्य नहीं हो पाया और इससे पर्यावरण के लिए खतरा भी पैदा हुआ। हाल के खनिज सुधारों द्वारा इस अंतर को समाप्त करने के लिए एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। पट्टेदार को खुले बाजार में खनिजों की बिक्री की अनुमति देने से खनन उद्योग में उत्पादन और दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरे, इन सुधारों के माध्यम से, हमारा लक्ष्य उन सरकारी कंपनियों के खनिज ब्लॉकों को मुक्त करना है, जिन्हें अभी तक विकसित नहीं किया गया है। इस संशोधन के बाद, राज्य सरकारों द्वारा कई खनिज ब्लॉकों को आरक्षित की श्रेणी से हटाया जायेगा और उन्हें नीलाम किया जाएगा। 2021 के संशोधन के माध्यम से किया गया एक अन्य महत्वपूर्ण सुधार है-एमएमडीआर अधिनियम की धारा 10 (ए) (2) (बी) के तहत विरासत के मुद्दों को समाप्त करना। इस सुधार से लगभग 500 ब्लॉक नीलामी व्यवस्था के तहत आ जायेंगे, जो अब तक लंबित मामलों के कारण बंद पड़े थे। खनन में आत्म-निर्भर बनने के लिए, हमें अपनी खनन प्रथाओं और अन्वेषण गतिविधियों में पर्याप्त सुधार लाकर अपना आयात कम करना होगा और घरेलू उत्पादन बढ़ाना होगा।

हमारी सरकार ने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि हमारी समृद्ध खनिज सम्पदा हमारे औद्योगिक, आर्थिक एवं वाणिज्यिक विकास का केंद्र बिंदु है। पिछले कुछ दशकों से खनिजों की वैश्विक मांग में लगातार वृद्धि हुई है और नवीनतम प्रौद्योगिकियों की भारी मांग के चलते इसमें और बढ़ोतरी होने की सम्भावना है। अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ उपभोक्ता उत्पादों, लोक अभियांत्रिकी (सिविल इंजीनियरिंग), रक्षा क्षेत्र, परिवहन और ऊर्जा (बिजली) उत्पादन के बुनियादी ढाँचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए खनिजों की आपूर्ति को निरंतर बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गयी है। खनिजों की बढ़ती मांग को देखते हुए अब बहुत आवश्यक हो गया है कि देश में खनिजों के उत्पादन को बढ़ाया जाए और इसके लिए वर्तमान में जारी अथवा अर्ध-विकसित क्षेत्रों में उत्खनन किए जाएं। खनन को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने 2015 में राष्ट्रीय खनन अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) की स्थापना की थी और इस पहल को आगे बढ़ाते हुए हमने एनएमईटी को अब एक स्वायत्त शासी निकाय बना दिया है। मान्यता प्राप्त निजी एजेंसियों को अनुमति दे दी है कि वे इस वर्ष किए गए खनन सुधारों के अनुरूप खनन कार्य शुरू करें। एनएमईटी के एक स्वायत्त शासी निकाय बनने के बाद भारत में खनन कार्यों में बहुत वृद्धि होगी और इसकी कार्य-प्रणाली में तेजी आएगी। इससे हमें अपनी भूगर्भीय-क्षमता को हासिल करने और खनन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप काम करने में सहायता मिलेगी। 2021 के खनन सुधारों के तहत एक और बहुत महत्वपूर्ण संशोधन खनिजों के एक नए समूह का गठन है, जिसे भूस्तरीय (सतही) खनिज कहा जाता है- जिसमें चूना पत्थर, लौह अयस्क, बॉक्साइट और कोयला एवं लिग्नाइट शामिल हैं। खनिजों के इस वर्ग के लिए, खनन पट्टे के सन्दर्भ में अन्वेषण मानकों की आवश्यकताओं को युक्तिसंगत बनाते हुए इसे जी3 स्तर तक और समग्र पट्टे के लिए जी4 स्तर तक कम किया गया है तथा नीलामी व्यवस्था को आसान बनाकर (नीलामी में अधिक ब्लॉकों की शामिल करने की सुविधा प्रदान की गई है।

जिन सुधारों का उल्लेख किया गया है, वे एमएमडीआर (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा लाए गए क्रांतिकारी परिवर्तनों की झलक भर हैं और हम भारत के खनन उद्योग और सभी खनिज समृद्ध राज्यों में पहले से हो रहे सकारात्मक विकास को देख रहे हैं। जिन खदानों में काम नहीं हो रहा है, उनके लिए सम्बन्धित राज्य पुनः आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर कर रहे हैं, और सार्वजनिक उपक्रमों की उन खदानों, जिनमें अभी तक उत्पादन शुरू नहीं किया गया है, की भी राज्य सरकारों द्वारा नीलामी की जा रही है। इन कानूनी संशोधनों के बाद बड़ी संख्या में ब्लॉकों को नीलामी प्रक्रिया में शामिल करने में मदद मिली है और हमने चालू वर्ष में खनन क्षेत्र का बेहतरीन प्रदर्शन देखा है। केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों और राज्य सरकारों के सहयोग के कारण, यह गर्व की बात है कि 17 ब्लॉकों की नीलामी की गई है, 27 नए एनआईटी जारी किए गए हैं और आने वाले महीनों के लिए 103 एनआईटी हेतु प्रक्रिया चालू कर दी गई है।

प्रधानमंत्री मोदी के सक्रिय नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से हमने हमेशा ही सहकारी संघवाद और सबका-साथ, सबका-विकास के आदर्श वाक्य का पालन किया है। ये सुधार, केंद्र और खनिज-संपन्न राज्यों के बीच मजबूत सहकारी संघवाद के प्रतीक हैं और राज्यों ने गर्मजोशी से इन खनन सुधारों का स्वागत किया है। ऊर्जा क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और भविष्य में खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, भारत को स्थायी और सामाजिक रूप से उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए अन्वेषण और उत्पादन दोनों को बढ़ाने की जरूरत है। एमएमडीआर अधिनियम, 1957, एमईएमसी नियम और खनिज (नीलामी) नियम में संशोधन के जरिये हमारी सरकार द्वारा खनन क्षेत्र में सुधार किये गए हैं। पिछले कुछ महीनों में नीलामी प्रक्रिया का सफल कार्यान्वयन हुआ है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। यह उस यात्रा की शुरुआत है, जिसे भारत इन सुधारों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के आत्म-निर्भर खनन क्षेत्र और आत्म-निर्भर भारत की दिशा में शुरू कर रहा है।

2025-26 तक 27 राज्यों में 200 वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना

शिमला। सबका साथ, सबका विकास के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में, 'स्थानीय खरीद आदिवासी के लिए आसान बनें' के नारे के साथ 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए प्रधानमंत्री के आहवान के अनुरूप, ट्राइफेड ने 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास' कार्यक्रम शुरू किया है। ट्राइफेड के वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों में प्राथमिकता के आधार पर साल 2020-21 से 2025-26 के दौरान 27 राज्यों में 200 वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना है। गौरतलब है कि साल 2020 से तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले के जवाधु हिल्स में मौजूद वन धन निर्माता कंपनी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि यह पहल आदिवासियों को कैसे लाभ पहुंचाती है। और वह आदिवासियों में उद्यमिता को बढ़ावा देती है।

तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में स्थित, जवाधु पहाड़ियां पूर्वी घाट का विस्तार हैं। मलयाली आदिवासी इस ब्लॉक में कुल आबादी का 92.60 फीसदी हैं और उनके जीवन का मुख्य आधार गैर-लकड़ी वन उपज और पट्टा भूमि पर उगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ जैसे इमली, कटहल, नारियल, नीबू और केला और आंवला आदि शामिल हैं।

इन आदिवासियों को सशक्त बनाने और बेहतर अवसर और बाजार पहुंच हासिल करने में मदद करने के लिए, जवाधु हिल्स जनजातीय कृषि उत्पादक कंपनी का गठन 2020 में किया गया था। यह गैर-इमारती वन उत्पाद और जवाधु पहाड़ियों, तिरुवन्नामलाई जिला एसपीवी के कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए बने स्टेट बैलेंस्ड ग्रोथ फंड के अंतर्गत आती है। कंपनी का गठन, कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) के तहत किया गया है और यह शेयरों द्वारा लिमिटेड है। इसमें किसान हित समूहों, उत्पादक समूहों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्य शामिल हैं। जिनका सामुदायिक स्तर पर गठन किया गया है। एफपीओ के निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों की पूरी टीम आदिवासी हैं।

एक साल से भी कम समय में इमली, बाजरा, शहद और काली मिर्च के प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए चार मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। आदिवासियों द्वारा चलाई जा रही इकाइयों ने नवंबर 2020 से उत्पादन शुरू किया है। इनकी दैनिक उत्पादन क्षमता 1 टन है। अब तक 4 महीने से भी कम समय में कंपनी ने 12 लाख रुपये तक के प्रसंस्कृत उत्पाद बेचे हैं। एफपीओ को ट्राइब्स इंडिया मार्केटप्लेस में एक विक्रेता के रूप में पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है और यह अपने नौ प्रसंस्कृत उत्पादों को प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेच रहा है। एफपीओ, इस प्रकार अपने उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार प्राप्त कर रहा है।

एक साल के भीतर 124 टन छोटे-मोटे बाजरा का उत्पादन किया गया है, जिसमें कुल 9800 परिवार छोटे मोटे बाजरा की खेती करते हैं। इसकी खेती में लगभग 17770 किसान लगे हुए हैं। उत्पादक कंपनी से लगभग 17770 बाजरा उत्पादक किसानों को लाभ मिला है। जवाधु पहाड़ी में प्रति वर्ष 22 टन शहद का उत्पादन होता है, जिसमें 120 स्वयं सहायता समूह के रूप में शहद का उत्पादन करने वाले कुल 2760 सदस्य शामिल हैं। इसलिए, जवाधु हिल्स उत्पादक कंपनी 2760 शहद उत्पादकों के जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने का लक्ष्य बनाकर चल रही है। इमली उत्पादन और बिक्री प्रक्रिया में 9500 परिवार और 300 स्वयं सहायता समूह शामिल हैं। इन पहाड़ियों में 90 टन से अधिक इमली का उत्पादन हो रहा है।

किसान उत्पादक कंपनी जिसका 2020 में ही गठन किया गया था। उसके अलावा ब्लॉक के आदिवासी पहले से ही तिरुवन्नामलाई जिले में मौजूद वन धन केंद्रों के सदस्य हैं। इसके तहत जवाधु वीडीवीके, जमुनामारथुर वीडीवीके और कूटथुर वीडीवीके केंद्र हैं जो एफपीओ के तहत काम कर रहे हैं। आदिवासी इन वीडीवीके के माध्यम से गैर-लकड़ी वन उत्पादों या लघु वन उत्पादों के मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित कर रहे हैं।

जवाधु हिल्स उत्पादक कंपनी का गठन, आदिवासियों के जीवन में गुणवत्ता और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया है। यह एक उदाहरण है कि कैसे एक वन धन आदिवासी स्टार्ट-अप देश भर में आदिवासी लोगों की आजीविका और आय में सुधार करने में सफल रहा है।

वन धन आदिवासी स्टार्ट-अप, उसी योजना और कार्यक्रम का एक हिस्सा है जो वनों पर निर्भर जनजातियों के लिए स्थायी आजीविका के निर्माण की सुविधा के लिए वन धन केंद्रों की स्थापना करके, लघु वन उत्पादों के मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग का काम करता है। यह कार्यक्रम, वन संसाधनों के संग्रहकर्ताओं, वनवासियों और घर में रहने वाले आदिवासी कारीगरों के लिए रोजगार सृजन के स्रोत के रूप में उभरा है।

दो वर्षों से भी कम समय में, 37,904 वन धन स्वयं सहायता समूह (वीडीएसएचजी), को अब तक ट्राइफेड द्वारा 300 वनवासियों के 2275 वन धन विकास केंद्र समूहों (वीडीवीकेसी) में शामिल किया गया है। ट्राइफेड के अनुसार, एक विशिष्ट वन धन स्वयं सहायता समूह द्ववीडीएसएचजीज्र में 20 आदिवासी सदस्य शामिल हैं। ऐसे 15 वीडीएसएचजी, 1 वन धन विकास केंद्र क्लस्टर बनाए गए हैं। वन धन विकास केंद्र क्लस्टर 23 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 6.67 लाख जनजातीय वन संसाधन संग्रहकर्ताओं को वीडीएसएचजी, आजीविका और बाजार के अवसर के साथ-साथ उद्यमिता के अवसर प्रदान करते हैं।

ट्राइफेड जनजातीय आजीविका कार्यक्रम के साथ कौशल विकास और माइक्रो उद्यमिता कार्यक्रम का भी विस्तार कर रहा है। ट्राइफेड, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई), आयुष मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ संयोजन कर कार्यक्रम को टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। जिससे आदिवासियों के लिए आजीविका और आय के अवसर उपलब्ध हो सकें।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर ट्राइफेड छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे 8 राज्यों में शहद के 14 एफपीओ के गठन की दिशा में काम करेगा।

बुजुर्गों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक भारत की बुजुर्ग आबादी के कल्याण का आकलन करता है

शिमला। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के अध्यक्ष डॉ. बिबेक देबरॉय ने बुजुर्गों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक जारी किया। ईएसी-पीएम के अनुरोध पर इंस्टीटयूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा यह सूचकांक तैयार किया गया है, जो ऐसे मुद्दों पर प्रकाश डालता है जिनका अक्सर बुजुर्गों के सामने आने वाली समस्याओं में उल्लेख नहीं किया जाता है।

यह रिपोर्ट भारतीय राज्यों में उम्र बढ़ने के क्षेत्रीय पैटर्न की पहचान करने के साथ-साथ देश में उम्र बढ़ने की समग्र स्थिति का भी आकलन करती है। यह रिपोर्ट इस बात का भी गहराई से आकलन करती है कि भारत अपनी बुजुर्ग आबादी के कल्याण के लिए किस प्रकार अच्छा काम कर रहा है।

इस सूचकांक के ढांचे में चार स्तंभ-वित्तीय कल्याण, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य प्रणाली और आय सुरक्षा तथा आठ उप-स्तंभ- आर्थिक सशक्तिकरण, शैक्षिक अर्जन और रोजगार, सामाजिक स्थिति, शारीरिक सुरक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और पर्यावरण के अनुरूप बनाना शामिल हैं।

यह सूचकांक भारत में बुजुर्ग आबादी की जरूरतों और अवसरों को समझने के तौर-तरीकों को विस्तृत बनाता है। यह पेंशन की पर्याप्तता और आय के अन्य स्रोतों के लिए बहुत आगे जाकर काम करता है, जो हालांकि महत्वपूर्ण हैं लेकिन अक्सर इस आयु समूह की जरूरतों के बारे में नीतिगत सोच और बहस को संकुचित करते हैं। यह सूचकांक इस बारे में भी प्रकाश डालता है कि मौजूदा और भविष्य की बुजुर्ग आबादी के जीवन को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आज की युवा आबादी के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में निवेश किया जाए।

ईएसी-पीएम के अध्यक्ष के रूप में डॉ. बिबेक देबरॉय ने कहा कि भारत को अक्सर एक युवा समाज के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त होता है। जनसांख्यिकीय बदलाव की तेज प्रक्रिया से गुजरने वाले हर देश की तरह भारत भी उम्र बढ़ने की समस्या से गुजर रहा है। उन्होंने डॉ. अमित कपूर और उनकी इंस्टीटयूट फॉर कम्पिटीटिवनेस टीम से उन मुद्दों पर रिपोर्ट करने का अनुरोध किया, जिनका अक्सर बुजुर्गों के सामने आने वाली समस्याओं में उल्लेख नहीं किया जाता है।

आईएफसी के अध्यक्ष डॉ. अमित कपूर ने कहा कि किसी नैदानिक उपकरण के बिना अपनी बुजुर्ग आबादी की जटिलताओं को समझना और उनके लिए योजना बनाना नीति निर्माताओं के लिए भी चुनौती बन सकता है। बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक भारत में बुजुर्ग आबादी की जरूरतों और अवसरों को समझने के तौर-तरीकों को व्यापक बनाने के लिए जारी किया गया है। यह सूचकांक बुजुर्ग लोगों के आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के मुख्य क्षेत्रों का मापन करने के साथ-साथ देश में बुजुर्ग लोगों की गहन स्थिति के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। इस प्रकार यह सूचकांक देश के लिए उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकता है जिनमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा यह सूचकांक उचित रैंकिंग के माध्यम से राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के साथ-साथ उन स्तंभों और संकेतकों पर भी प्रकाश डालता है, जिनमें वे सुधार कर सकते हैं। इस सूचकांक को एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हुए राज्य सरकारें और हितधारक उन क्षेत्रों की पहचान करते हैं, जिनके बारे में काम करने की जरूरत है, ताकि अपनी बुजुर्ग पीढ़ी को एक आरामदायक जीवन उपलब्ध कराया जा सके।

स्वास्थ्य प्रणाली स्तंभ का अखिल भारतीय स्तर पर उच्चतम राष्ट्रीय औसत 66.97 होने तथा समाज कल्याण में यह औसत 62.34 होने का पता चला है। वित्तीय कल्याण में यह स्कोर 44. 7 रहा है, जो शिक्षा प्राप्ति और रोजगार स्तंभ में 21 राज्यों के कमजोर प्रदर्शन के कारण कम रहा है और यह सुधार की संभावना को दर्शाता है।

राज्यों ने विशेष रूप से आय सुरक्षा स्तंभ में बहुत खराब प्रदर्शन किया है, क्योंकि आधे से अधिक राज्यों में आय सुरक्षा में राष्ट्रीय औसत यानी 33.03 से भी कम प्रदर्शन किया है, जो सभी स्तंभों में सबसे कम है। ये स्तंभ-वार विश्लेषण राज्यों को बुजुर्ग आबादी की स्थिति का आकलन करने और उनकी प्रगति में बाधा डालने वाले मौजूदा अंतरालों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं।

राजस्थान और हिमाचल प्रदेश क्रमश: बुजुर्ग और अपेक्षाकृत बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में सर्वाधिक स्कोर हासिल करने वाले क्षेत्र हैं। जबकि चंडीगढ़ और मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य श्रेणी में सर्वाधिक स्कोर हासिल करने वाले क्षेत्र हैं। बुजुर्ग आबादी वाले राज्य ऐसे राज्य हैं, जहां बुजुर्ग आबादी 5 मिलियन से अधिक है, जबकि अपेक्षाकृत बुजुर्ग आबादी वाले राज्य ऐसे राज्य हैं जहां बुजुर्ग आबादी 5 मिलियन से कम है।

एसजेवीएन ने बिहार में 200 मेगावाट की सोलर परियोजना हासिल की

शिमला/शैल। एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नन्द लाल शर्मा ने बताया कि कंपनी ने दिनांक 13.08. 2021 को आयोजित ई-रिवर्स नीलामी के दौरान बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट (बीओओ) आधार पर/रू.3.11/यूनिट की दर से 200 मेगावाट परियोजना को खुली प्रतिस्पर्धी टैरिफ बोली प्रक्रिया के माध्यम से हासिल किया है।

एसजेवीएन ने बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (बीआरईडीए) द्वारा जारी 200 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रकिया में भाग लिया, जिसमें तीन अन्य प्रतिभागियों ने भी भाग लिया।

उन्होंने बताया कि इस परियोजना के निर्माण और विकास की संभावित लागत 1000 करोड़ रूपए है। इस परियोजना से पहले वर्ष में 420.48 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन की संभावना है और 25 वर्षों की अवधि में परियोजना संचयी विद्युत उत्पादन लगभग 10512 मिलियन यूनिट होगा। बीआरईडीए तथा एसजेवीएन के मध्य पीपीए पर 25 वर्षों के लिए हस्ताक्षर किए जाएंगे।

शर्मा ने अवगत कराया कि वर्तमान में, एसजेवीएन की कुल स्थापित क्षमता 2016.5 मेगावाट है जिसमें 1912 मेगावाट की दो जलविद्युत परियोजनाएं तथा 104 मेगावाट के 4 नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र (6.9 मेगावाट के दो सौर संयंत्र तथा 97.6 मेगावाट के 2 पवन संयंत्र) शामिल हैं। इससे पहले, एसजेवीएन ने गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 145 मेगावाट की दो सौर परियोजनाएं हासिल की हैं। इन दोनों सोलर परियोजनाओं को भी खुली प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से हासिल किया गया है। 200 मेगावाट के इस हाल ही के आबंटन के साथ एसजेवीएन के पास अब 345 मेगावाट की सोलर परियोजनाएं निष्पादनाधीन है। उन्होंने कहा कि इन सभी सोलर परियोजनाओं को मार्च, 2022 तक कमीशन किया जाना है, जो एसजेवीएन की नवीकरणीय क्षमता के लिए एक विशाल बढ़ोत्तरी होगी ।

भारत सरकार ने 24X7 पावर फॉर ऑल के विजन को परिकल्पित किया है तथा 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, जिसमें से वर्ष 2020 तक 100 गीगावाट सोलर के माध्यम से पूरा किया जाना है। गत वर्ष सितम्बर में संयुक्त जलवायु कार्यान्वयन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की घोषणा की थी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप एसजेवीएन ने 2023 तक 5000 मेगावाट, 2030 तक 12000 मेगावाट और 2040 तक 25000 मेगावाट क्षमता वृद्धि का अपना साझा विजन निर्धारित किया है।

एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम को अधिसूचित किया

शिमला । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2022 तक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के आहवान के अनुरूप, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्थलीय एवं जलीय इकोसिस्टम पर बिखरे हुए प्लास्टिक के कचरे के प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित कर दिया है। यह नियम वर्ष 2022 तक कम उपयोगिता और कचरे के रूप में बिखरने की अधिक क्षमता रखने वाली एकल उपयोग की प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करता है।

1 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टीरीन और विस्तारित पॉलीस्टीरीन समेत निम्नलिखित एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा: -

प्लास्टिक की छड़ियों से लैस ऐयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ियां, आइसक्रीम की छड़ियां, सजावट के लिए पॉलीस्टीरीन (थर्मोकोल)(प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसी कटलरी, मिठाई के डिब्बों के चारों ओर लपेटी जाने या पैकिंग करने वाली फिल्म, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टिरर।

हल्के वजन वाले प्लास्टिक कैरी बैग की वजह से फैलने वाले कचरे को रोकने के लिए 30 सितंबर, 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर, 2022 से 120 माइक्रोन कर दी गई है। मोटाई में इस वृद्धि के कारण प्लास्टिक कैरी का दोबारा उपयोग भी संभव होगा।

प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट, जिसे चिन्हित की गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के चरण के तहत कवर नहीं किया गया है, को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुरूप निर्माता, आयातक और ब्रांड मालिक (पीआईबीओ) की विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के जरिए पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ तरीके से एकत्र और प्रबंधित किया जाएगा। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के कारगर कार्यान्वयन के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व से संबंधित दिशानिर्देशों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 के जरिए कानूनी शक्ति प्रदान की गई है।

स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों में अपशिष्ट प्रबंधन के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन को मजबूत करने और चिन्हित की गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को कम करने के लिए भी निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: (i) राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उन्मूलन करने और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कारगर कार्यान्वयन के लिए एक विशेष कार्यबल गठित करने का आग्रह किया गया है। मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भी एक कार्यबल गठित किया गया है, जोकि चिन्हित की गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं का उन्मूलन करने और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कारगर कार्यान्वयन के लिए समन्वित प्रयास करता है।

की धारा 5 के तहत सभी राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्लूएम) नियम, 2016 के प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के विकल्प के विकास और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े डिजिटल समाधानों में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों और स्टार्टअप के छात्रों के लिए इंडिया प्लास्टिक चैलेंज-हैकाथॉन 2021 का आयोजन किया गया है।

प्याज के छिलकों का पोरस कार्बन नैनो-पार्टिकल्स का सॉफ्ट एक्चुएटर्स बनाने में उपयोग

शिमला। प्याज के बेकार छिलकों से प्राप्त पोरस कार्बन नैनो पार्टिकल्स का उपयोग करते हुए, वैज्ञानिकों की एक टीम ने उन्नत फोटोमैकेनिकल क्षमता वाले सॉफ्ट रोबोटिक एक्टयूएटर विकसित किए हैं। ये एक्टयूएटर्स कम-शक्ति वाले नियर इन्फ्रारेड (एनआईआर) लाइट को रोशनी प्रदान करने के लिए एक निपुण ट्रैप के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये कंट्रोल सिग्नल को दवा आपूर्ति, पहनने योग्य एवं सहायक उपकरणों, सर्जरी और यहां तक कि कृत्रिम अंगों जैसे बायोइंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के साथ यांत्रिक गति को नियंत्रण संकेतक में परिवर्तित कर सकते हैं।

ये सॉफ्ट रोबोट या एक्चुएटर्स रबड जैसे पॉलीमर से युक्त होते हैं और इनमें नैनोमैटेरियल्स लगे होते हैं, जो ऊर्जा के स्रोत को यांत्रिक गति में परिवर्तित करके जैव-चिकित्सा, सैन्य और रिमोट स्पेस परिचालनों सहित विभिन्न क्षेत्रों में लक्षित अनुप्रयोगों के साथ काफी दिलचस्पी अर्जित कर रहे हैं। ऐसी दिलचस्पी के लिए मुख्य रूप से इनका लचीलापन, सामर्थ्य और आसानी से अनुकूलनता और पूर्वनिर्धारित गति का निर्माण मुख्य कारण हैं। इन नैनोफॉर्मों की उच्च तापीय चालकता के थर्मल और फोटो-थर्मल उद्दीपन द्वारा स्थानीय रूप से सृजित उष्मा का तेजी से वितरण किया जा सकता है। इन एक्चुएटर्स को विकास के अगले स्तर तक ले जाने के लिए ऊष्मा ट्रैप्स का सृजन करके कुछ अधिक अवधि के लिए समाविष्ट करने हेतु सृजन किया जा सकता है, ताकि प्राप्त फोटोमैकेनिकल एक्टयूएशन को बढ़ाया जा सके। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, बेंगलुरु में प्रो. एस. कृष्ण प्रसाद के नेतृत्व वाली एक टीम ने पोरस कार्बन नैनो पार्टिकल्स का उपयोग करते हुए ऐसा अनुभव प्राप्त किया। 'जर्नल ऑफ नैनोस्ट्रक्चर इन केमिस्ट्री' में अभी हाल में प्रकाशित शोध कार्य के अनुसार बी.एम.एस. इंजीनियरिंग कॉलेज, बेंगलुरु के डॉ गुरुमूर्ति हेगड़े द्वारा प्याज के बेकार छिलकों से पोरस नैनो कार्बन्स (पीसीएन) तैयार किए गए। अधिक सरंध्रता (पोरोसिटी) वाले पीसीएन की विशिष्ट सतह लो-पावर नियर इन्फ्रारेड (एनआईआर) लाइट के लिए एक उपयुक्त ट्रैप्स थी, जिसके परिणामस्वरूप पीसीएन और पीडीएमएस से युक्त फिल्म ने अधिक मैग्निटूड (मल्टी-मिमी) एक्चुवेशन अर्जित किया, जो तेज प्रतिक्रियाओं (सब-सेंकेंड्स) से युक्त था। इन विशेषताओं को शायद ही कभी अन्य कार्बन नैनोस्ट्रक्चर से युक्त सिंगल-लेयर फिल्मों में प्राप्त किया गया हो। शोधकर्ताओं ने इस हीट ट्रैपिंग क्षमता का श्रेय पीसीएन को तैयार करने की विधि को दिया है। सीनियर रिसर्च फैलो सुश्री प्रज्ञा सत्पथी ने बताया कि किये गये विस्तृत मापों से पता चलता है कि फोटोथर्मल रूपांतरण दक्षता और गर्मी-ट्रैपिंग क्षमता मजबूती से सह-सम्बन्धित है, जो पीसीएन तैयार करने के लिए नियोजित पायरोलिसिस तापमान से भी जुड़ी है। इस प्रकार यह एक प्रभावी नियंत्रण मानदंड है।

एक मूल्य संवर्धन के रूप में इस टीम ने अतिरिक्त अल्ट्राथिन (30 एनएम) गोल्ड लेयर का भी पता लगाया है, जिसका एक्चुवेशन मैग्निटूड दोगुने से भी अधिक हो सकता है। इसके अलावा इसके द्विदिशिक फोटो निर्यात्रित फेस से दोगुने से अधिक सवेदी गति प्राप्त की जा सकती है। इस प्रक्रिया के नवीन अनुप्रयोग जनित प्रदर्शन के रूप में इस टीम ने एक नियर-इन्फ्रारेड-चालित बिजली स्विच भी तैयार किया है, जो एलईडी सर्किटों को सक्रिय बना सकता है, जिसका इसी प्रकार के अनुप्रयोगों में उपयोग किया जा सकता है।

विधानसभा सदन में आरएसएस पर उठा यह है उच्च न्यायालय का फैसला

.....पृष्ठ 1 का शेष

क्यो नहीं है। यदि संघ बिना पजींकरण के सामाजिक कार्यो को अंजाम दे सकता है तो दूसरी संस्थाएं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। अब संघ को लेकर आये दिन सवाल उठने शुरू हो जायेंगे जो आज तक किसी भी मंच पर नहीं उठे हैं।

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY NAGPUR BENCH, NAGPUR WRIT PETITION NO.6700 OF 2017

1. Janardan s/o Gulabrao Moon, Aged about 66 years, Occupation : Social Worker, R/o 791, Nagsen Van, Binaki Road, Nagpur-440017.

... Petitioner/ Original Applicant

Versus

1. The State of Maharashtra, through its Secretary, General Administration Department, Mantralaya, Mumbai-400032.
2. The Assistant Registrar of Societies, Civil Lines, Nagpur-440001.

*3. Adv.(Dr.) Rajendra s/o Chintaman Gundalwar, Aged about 47 years, Occupation - Social Worker, R/o C/o Dr. Hedgewar Centre, Bezalwar Niwas, Hospital Ward, Near Jatpura Gate, Chandrapur, District Chandrapur-442410.

[* Writ Petition is dismissed in default against Respondent No.3 vide Registrar (Judicial)'s order dated 15-6-2018]

4. Deepak s/o Vasantrao Barad,, Aged 42 years, Occupation - Service, R/o Golibar Chowk, Pachpaoli, Nagpur.
5. Prashant s/o Kamlakar Bopardikar, Aged - Major, Occupation - Private, R/o 116, Abhyankar Nagar, Nagpur.
6. Mohnish s/o Jivanlal Jabalpure (Yadav), Aged - Major, R/o In front of Chitra Talkies, Mahal, Nagpur.

...Respondents

Shri A.R. Ingole, Advocate for Petitioner (Original Applicant).
Shri Anand Deshpande, Additional Government Pleader for Respondent Nos.1 and 2.
Shri Sunil Manohar, Senior Advocate, assisted by Shri S.D. Abhyankar, Advocate for Respondent Nos.4 and 5.
CORAM : R.K. DESHPANDE & VINAY JOSHI, JJ.
DATE OF RESERVING THE JUDGMENT :
15th JANUARY, 2019
DATE OF PRONOUNCING THE JUDGMENT :
21st JANUARY, 2019
JUDGMENT (PER : R.K. DESHPANDE, J.) :

1. Rule. The learned counsels appearing for the parties waive service of notice. The petition is being finally disposed of.

2. The challenge in this petition is to the order dated 4-10-2017 passed by the Assistant Registrar of Societies, wp6700.17.odt Nagpur, rejecting Application No.615 of 2017 for grant of permission to register a charitable society under the name and style of "Rashtriya Swayansevak Sangh" along with the Memorandum of Association, Rules and Regulations and other relevant documents enclosed with it. The application was opposed by the respondent Nos.3 to 6, who were the objectors, claiming that the society under the name and style of "Rashtriya Swayansevak Sangh" has already been registered at Chandrapur vide Registration No.MH-08/ D0018394 by the Indian Government since 1925 and they are the members of such society. According to the objectors, the petitioner cannot claim registration of the society under the name and style of "Rashtriya Swayansevak Sangh" in view of the bar created under Section 3-A of the Societies Registration Act, 1860.

3. The Assistant Registrar, in the impugned order, has recorded the finding that there is no documentary evidence in the form of registration certificate filed by the objectors on record to prove that the society under the name and style of "Rashtriya Swayansevak Sangh" or similar or identical to it, has wp6700.17.odt already been registered. Relying upon the Circular dated 22-12-2005 issued by the General Administration Department of the State Government bearing No.EMB-1005/1440/30, it is held that the Circular impliedly prohibits the use of name "Rashtriya" in the name of society. The order holds that the true spirit of the Circular is to prevent the name of society or trust, which will directly or by implication suggests the patronage of the Government of India or the State Government. It holds that to register the petitioner-society containing the name "Rashtriya", is against such Circular. It also holds that the registration of the petitioner-society is also barred by Section 3-A of the Societies Registration Act in the absence of prior permission of the Government.

4. It is urged by Shri Ingole, the learned counsel appearing for the petitioner, that in the absence of existence of any society being already registered in the name of "Rashtriya Swayansevak Sangh", the learned Assistant Registrar has committed an error in rejecting the application. He has further urged that there is no basis to form an opinion that the registration of the society in the wp6700.17.odt name of "Rashtriya Swayansevak Sangh" is undesirable either on the ground that the name is identical with, or resembles with any society previously registered, or that it suggests or is calculated to suggest the patronage of the Government or connection with any body constituted by the Government or any local authority. The reliance is placed upon the decision of the learned Single Judge of this Court in the case of Satyaprakash Sharma v. State of Maharashtra and another, reported in 2013(1) Mh.L.J. 147.

5. As against the aforesaid contentions, Shri Sunil Manohar, the learned Senior Advocate, assisted by Shri S.D. Abhyankar, Advocate, appearing for the respondent Nos.4 and 5, the objectors, has urged that the provision of Section 3-A of the Societies Registration Act is wide enough to include the power of the Registrar to reject the application for registration of the society in any particular name if it is found to be otherwise undesirable, though not even referable to categories 1 and 2 under Section 3-A of the said Act. He submits that the decision of the learned Single Judge relied upon has to be understood in the facts of the case before the Court.

6. According to Shri Anand Deshpande, the learned Additional Government Pleader appearing for the respondent Nos.1 and 2, the word "Rashtriya" shows the patronage of the Government, which definitely creates confusion or it may mislead the public. He supports the order and relies upon the Circular dated 22-12-2005, introduced by virtue of the provisions as contemplated under the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950.

7. The question involved is whether the rejection of the application of the petitioner for registration of the charitable society in the name of "Rashtriya Swayansevak Sangh" can be justified on the basis of the provision of Section 3-A of the Societies Registration Act. The provision of Section 3-A of the said Act, being relevant is reproduced below :

"3-A. Prohibition against registration of societies with undesirable names.-- No society shall be registered by a name which, in the opinion of the Registrar, is undesirable, being a name which is identical with, or which in the wp6700.17.odt opinion of the Registrar so nearly resembles the name by which any other existing society has been previously registered, as to be likely to deceive the public or members of either society, or which, without the previous permission of the Government concerned, suggests or is calculated to suggest the patronage of that Government or connection with anybody constituted by that Government or any local authority, or which may, subject to any rules made in this behalf, be deemed to be undesirable by the Registrar."

Our reading of the provision of Section 3-A of the Societies Registration Act is that the power of the Registrar to reject the application for registration of the society by name proposed, can be exercised on three grounds - (i) that such registration is undesirable being a name which is identical with, or so nearly resembles the name by which any other existing society has been previously registered, as to be likely to deceive the public or members of either society, or (ii) which suggests or is calculated to suggest the patronage of the Government or connection with any body constituted by that Government or any local authority, or (iii) which may be deemed to be undesirable. Ground No.(i) contemplates existence of registered Society in the identical name wp6700.17.odt or the name which resembles with such society. Ground No.(ii) does not contemplate existence of registered society, but it suggests or calculated to suggest the patronage or connection with the Government or local authority. For the society falling in ground No.(ii), the registration may be permissible with the prior permission of the Government concerned, whereas ground No.(iii) is subject to any rules made in that behalf.

8. It is urged by Shri Ingole that there is no third category unconnected with ground Nos.(i) and (ii) under Section 3-A of the Societies Registration Act. Relying upon the decision of the learned Single Judge in Satyaprakash Sharma's case, cited supra, it is urged that the word "undesirable" in the last portion of the said Section does not denote general notion or concept of undesirable, which is ruled out. He, therefore, submits that the expression "be deemed to be undesirable" at the end of the provision is referable only to ground Nos.(i) and (ii). The argument of Shri Manohar is that the decision relied upon is distinguishable and the Court therein was dealing with similarity with the name of the society already registered.

9. It is not possible for us to accept the argument of Shri Ingole that the ground No.(iii) in Section 3-A of the Societies Registration Act is referable only to ground Nos.(ii) and (iii) therein. In our view, Shri Manohar is right in urging that the expression "be deemed to be undesirable" pertains to a general category which may or may not include the ground Nos.(i) and (ii) under Section 3-A of the said Act for rejection of the application. Shri Manohar was right in pointing out an instance where a charitable society is sought to be registered in the names of Indian National Congress, Bhartiya Janta Party or such similar names, which are political organizations, but may not be registered under the provisions of the Societies Registration Act. The rejection may also be on the ground that registration of society in such a name is likely to deceive the public because of similarity or resemblance with any other organizations, like Indian National Congress, Bhartiya Janta Party. Apart from this, if the name of the Society is found ex facie undesirable, like "Terrorist Organization", there can be rejection in terms of ground No.(iii), which can be termed as residuary.

10. So far as the challenge based on Article 19(1)(c) of the Constitution of India is concerned, no doubt, it relates to a fundamental right of the association or union. Of course, by Article 19(4), the operation of any existing law insofar as it imposes or prevents the State from making any law imposing reasonable restrictions on the exercise of right conferred by this Article in the interest of sovereignty and integrity of India, public order or morality and operation of such law is not affected. It is not the argument advanced that the provision of Section 3-A of the Societies Registration Act is in any way unreasonable or contravenes the provision of Article 19(1)(c) of the Constitution of India. The authority acting under Section 3-A of the said Act is competent to reject the claim for registration of society in particular name, if in its opinion it is found to be undesirable.

11. In the present case, the Assistant Registrar has recorded the finding that the registration of the petitioner-society is barred under Section 3-A of the Societies Registration Act in the absence of prior permission of the Government. Relying upon the wp6700.17.odt interpretation of the Circular dated 22-12-2005, it is held that the use of name "Rashtriya" in the name of the society directly or by implication suggests the patronage of the Government of India or the State Government. The decision of the learned Single Judge of this Court in the case of Satyaprakash Sharma, cited supra, will have to be seen in the light of the facts of the case. It was a case of rejection which pertained to ground No.(i) in Section 3-A of the said Act. It was not the question involved as to whether in the absence of existing registered society having the name identical or resembling with the name of the society to be registered. The said decision is not applicable. We, therefore, do not find any substance in the arguments so advanced.

12. In the result, the petition is dismissed. Rule stands discharged. No order as to costs.

(VINAY JOSHI, J.)
(R.K. DESHPANDE, J.)

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

विद्युत परियोजनाओं के भविष्य पर किन्नौर त्रासदी से उठे सवाल

शिमला/शैल। किन्नौर में जिस तरह से वहां की जनता पर दुखों के पहाड़ टूट पड़े हैं उससे हर संवेदनशील व्यक्ति व्यथित हो गया है। इस त्रासदी ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या विकास के लिये इतनी बड़ी

कीमत चुकानी पड़ेगी। यह सवाल भी साथ ही उठ रहा है कि जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके सारा सन्तुलन बिगाड़ दिया जायेगा तो क्या इसका अन्तिम परिणाम ऐसी ही त्रासदीयों के रूप में सामने नहीं आयेगा। यह क्षेत्र भूकम्प जोन पांच में आता है। 1971 में किन्नौर में भूकम्प आया था और उसका प्रभाव शिमला तक पड़ा था। उस समय शिमला का रिज और लक्कड़ बाज़ार एरिया प्रभावित हुआ था जो आज तक पूरी तरह संभल नहीं पाया है। 1971 में किन्नौर में कोई जलविद्युत परियोजना नहीं थी बल्कि प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ही 1974 के बाद गठित हुए हैं। उसके बाद ही प्रदेश की जलविद्युत क्षमता और सीमेन्ट का आकलन किया गया। इस आकलन में प्रदेश की पांच मुख्य नदी घाटियों में से सबसे अधिक नियोजित क्षमता सतलुज नदी घाटी की आंकी गयी। इस आकलन के बाद यहां जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने की योजना बनी। किन्नौर में 53 जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने की योजनाएं बनीं। किन्नौर में 53 जलविद्युत परियोजनायें प्रस्तावित हैं जिनमें से 3041 मैगावाट की 15 अलग – अलग क्षमता की परियोजनाएं चालू हैं। प्रस्तावित परियोजनाओं में 17 बड़ी परियोजनाएं हैं। यदि यह सारी परियोजनाएं क्रियान्वित हो जाती हैं तो 22% नदी बाधों के पीछे झील के रूप में खड़ी होगी और 72% सुरंगों के भीतर बहेगी।

इस संबंध में हुए अध्ययनों से सामने आया है कि जिले में 82% भूभाग पथरीला या उच्च हिमालय चरागाह के अर्न्तगत है। यहां के कुल वनक्षेत्र का 90% भाग जलविद्युत परियोजनाओं और टावर लाईनों के लिये प्रयुक्त हुआ है। बड़े पैमाने पर वनभूमि का हस्तान्तरण इन परियोजनाओं के लिये हुआ है। दस परियोजनाओं के लिये तो 415 हैक्टेयर के चिलगोज़ा के जंगलों का हस्तान्तरण हुआ है। चिलगोजा के जंगल केवल किन्नौर में ही पाये जाते हैं। जो अध्ययन हुए हैं उनमें यह सामने आया है कि इन परियजोनाओं के लिये 11589 पेड़ काटे गये हैं। लेकिन क्षतिपूर्ति वनीकरण में केवल 10% तक ही सफलता मिल पायी है। इससे सारे पर्यावरण का सुन्तलन बिगड़ गया है। ऐसे में जब सारी परियोजनाओं को शुरू कर दिया जायेगा तो उसके परिणाम कितने गंभीर होंगे इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। इस परिदृश्य में यह सवाल खड़ा हो गया है कि शेष बची परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिये या इन्हें अब हुए नुकसान को सामने रखकर छोड़ दिया जाना चाहिये।

जब इन परियोजनाओं पर विचार शुरू किया गया था तब यह तस्वीर खींची गयी थी कि प्रदेश की सारी आर्थिक कठिनाईयां अकेले विद्युत के क्षेत्र से दूर हो जायेंगी। निवेश के लिये 1990 से प्राईवेट क्षेत्र को बुलाना शुरू किया गया था और तब बसपा परियोजना बिजली बोर्ड से लेकर जेपी समूह को दी गयी थी। इस परियोजना पर जो कुछ बिजली बोर्ड ने निवेशित कर रखा था वह ब्याज सहित वापिस लिया जाना था। लेकिन जब यह राशी 92 करोड़ को पहुंच गयी तब इसे यह कहकर बट्टे खाते में डाल दिया गया कि यदि इसे वापिस लिया जाता है तो जेपी अपनी बिजली की कीमत बढ़ा देगा और इससे जनता पर बोझ पड़ेगा। इस विषय पर कैग द्वारा की गयी टिप्पणीयों का भी सरकार पर कोई असर नहीं हुआ है। प्रदेश के सारे सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश का 85% अकेले विद्युत क्षेत्र में निवेशित है और इससे कुल चिन्हित क्षमता 27436 मैगावाट में से केवल 10640.57 मैगावाट का ही दोहन हो पाया है। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लि. के जिम्मे विद्युत के वितरण का काम है और इसमें बोर्ड की संचित हानि 31 मार्च 2019 को 2092.86 करोड़ हो चुकी थी और विद्युत क्षेत्र

का कर्जभार 9736.64 करोड़ हो चुका है। कैग के मुताबिक आज प्रदेश की विद्युत कंपनीयां अपने ब्याज का भार वहन करने की स्थिति में नहीं हैं। करोड़ो का अपफ्रन्ट प्रिमियम वूसला नहीं गया है। कुल मिलाकर आज प्रदेश का विद्युत क्षेत्र जिस धरातल पर खड़ा है उससे यह नहीं लगता कि जो उम्मीद आत्मनिर्भरता की इस क्षेत्र के माध्यम से सोची गयी थी वह कभी पूरी हो पायेगी। ऐसे में यह विचार करना आवश्यक हो जायेगा कि क्या इस विकास के लिये इतने जान-माल का नुकसान करवाना श्रेयस्कर होगा या नहीं। क्योंकि प्रकृति का सन्तुलन जिस अनुपात में बिगाड़ा जायेगा उसी अनुपात में यह नुकसान बढ़ता जायेगा और एक दिन इससे विद्युत का उत्पादन भी प्रभावित हो जायेगा।

क्या अनुराग ठाकुर सरकार की असफलताओं पर आशीर्वाद मांगेंगे

शिमला/शैल। केन्द्रिय सूचना एवम् प्रसारण मन्त्री अनुराग ठाकुर पांच दिन की जन आशीर्वाद यात्रा पर प्रदेश में आ रहे हैं। यह यात्रा 19 अगस्त को हिमाचल भवन चण्डीगढ़ से शुरू होकर 23 अगस्त को शाम को ऊना के मैहतपुर में समाप्त होगी। इस यात्रा में प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य स्थानों को कवर किया जायेगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जब यह यात्रा तय की गयी थी तब इसके रूट में मण्डी संसदीय क्षेत्र शामिल नहीं था। लेकिन बाद में इसमे मण्डी संसदीय क्षेत्र को भी जोड़ दिया गया। सूचना एवम् प्रसारण मन्त्री बनने के बाद अनुराग ठाकुर की यह पहली यात्रा है प्रदेश की ओर वह भी आशीर्वाद यात्रा के रूप में। इस समय देश में लोकसभा के लिये चुनाव नहीं होने जा रहे हैं और न ही प्रदेश की विधानसभा के लिये आम चुनाव हो रहे हैं। प्रदेश में केवल चार उपचुनाव होने हैं जिनमें तीन विधानसभा और एक लोकसभा क्षेत्र शामिल है। यह चुनाव भी कब होंगे यह भी अभी अनिश्चित है क्योंकि चुनाव आयोग ने 30 अगस्त तक कोरोना की नयी एसओपी के तहत राज्य से रिपोर्ट तलब की है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि भाजपा इस यात्रा में किन उपलब्धियों के लिये प्रदेश की जनता से आशीर्वाद मांगेगी। मण्डी संसदीय क्षेत्र के सांसद स्व. रामस्वरूप शर्मा की आत्महत्या के बाद मण्डी सीट खाली हुई है। इस आत्महत्या पर दिल्ली पुलिस में मामला दर्ज है। स्व. रामस्वरूप शर्मा का बेटा दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठा चुका है।

विधानसभा के अभी हुए सत्र में विपक्ष इसकी सीबीआई से जांच करवाने की मांग कर चुका है। क्या अनुराग ठाकुर इस यात्रा में रामस्वरूप के परिजनों को कोई ठोस आश्वासन दे पायेंगे।

अभी विधानसभा के सत्र में बेरोज़गारों और आऊटसोर्स के माध्यम से पिछले दरवाज़े से मैरिट को नज़रअन्दाज करके भर्तियां करने के आरोप सरकार पर लगे हैं। विपक्ष ने यह आरोप लगाया है कि आऊटसोर्स के माध्यम से प्रदेश में आठ हज़ार लोगों की भर्ती की गयी है और उसमें से पांच हज़ार लोग मुख्यमन्त्री और जल शक्ति मन्त्री के चुनाव क्षेत्रों से ही भर्ती कर लिये गये हैं। क्या अनुराग इस आरोप की जांच का आश्वासन दे पायेंगे या इस मुद्दे को प्रधानमन्त्री तक भी पहुंचाने का वायदा कर पायेंगे। प्रचार प्रसार पर हुए खर्च की जानकारी विधानसभा से ही छुपायी जा रही है। सरकारी धन को ऐच्छिकता से खर्च किया जा रहा है। क्या अनुराग ठाकुर इसका भी जवाब दे पायेंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों से ध्यान हटाने के लिये आईपीसी की धारा 505(2) के तहत मामला दर्ज किया जाना कैसे उचित है क्या इसका जवाब यात्रा में आ पायेगा।

आज प्रदेश कर्ज में इतना डूब चुका है कि सारा भविष्य दांव पर लग गया है। बजट सत्र में कांग्रेस विधायिका आशा कुमारी ने तीन वर्षो में प्रतिवर्ष सरकार की कुल आय और खर्च का ब्यौरा मांगा था। इसमें जो जवाब सदन के पटल पर रखा गया है उसके मुताबिक आय और व्यय में करीब 28000 करोड़ का अन्तर है। स्वभाविक है इस अन्तर को पाटने के लिये या तो कर्ज का सहारा लिया गया या फिर इतने कार्यो को अंजाम ही नहीं दिया गया। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं। जितने प्रतिवर्ष सेवानिवृत होते हैं उतने भी नहीं भरे जाते हैं। मंहगाई चरम पर है और यही स्थिति बेरोज़गारी की है। इस परिदृश्य में जब पार्टी उपचुनावों का सामना करेगी तो जनता का सहयोग क्या मिलेगा इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। 2014 से 2019 तक हर चुनाव में स्व. वीरभद्र सिंह पर लगे आरोपों को भुनाया गया था। परन्तु आज उनकी मौत के बाद सारा परिदृश्य बदल गया है। आज जन सहानुभूति उनके साथ है। यह धारणा बन चुकी है कि उनके खिलाफ आधार हीन मामले बनाये गये और लटका कर रखने की नीति पर चलते रहे हैं। ऐसे में क्या अनुराग सरकार की असफलताओं पर जनता से आशीर्वाद मांग पायेंगे।